उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या :2169/रेस्पो/विविध/भ्रमण दिनांक :20 सितम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन के अन्तर्गत विभिन्न विद्युत वितरण मण्डलों में आगामी त्योहारों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा वर्षा ऋतु के पश्चात् "अनुरक्षण माह" के अन्तर्गत अनुरक्षण कार्यों की कार्य–योजना एवं कराये जा रहे कार्यों की स्थिति, ए0एम0आई0एस0पी0 सम्बन्धित QC-3 का अनुपालन, आवश्यक विद्युत सुरक्षा उपकरण/सामग्री की उपलब्धता एवं प्रयोग की स्थिति के **निरीक्षण हेतु निम्नवत् तालिकानुसार अधिकारियों को उनको आवंटित विद्युत वितरण मण्डलों का दिनांक 26.09.2025 से दिनांक 27.09.2025 तक भ्रमण करने हेतु नामित किया जाता है,** जिसके सम्बन्ध में निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0 स्तर से दिनांक 24.09.2025 को विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से debriefing की जाएगी।

1- **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0–वाराणसी**

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
1	विद्युत वितरण मण्डल–I, गोरखपुर	धीरज कुमार जायसवाल	अधीक्षण अभियन्ता (ई0टी0आई0), लखनऊ
2	विद्युत वितरण मण्डल–II, गोरखपुर	प्रशांत सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
3	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, गोरखपुर	शशांक कुमार अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता (कार्यशाला मण्डल), वाराणसी
4	विद्युत वितरण मण्डल, देवरिया	वीरेन्द्र प्रसाद कठेरिया	अधीक्षण अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0
5	विद्युत वितरण मण्डल, कुशीनगर	संतोष कुमार	अधिशासी अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0
6	विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज	दीपक सिंह	अधिशासी अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
7	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल – I, प्रयागराज	बृजेश कुमार	अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), पू0वि0वि0नि0लि0
8	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल –II, प्रयागराज	संतोष कुमार मधुकर	अधीक्षण अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
9	विद्युत वितरण मण्डल –I, प्रयागराज	अखण्ड प्रताप यादव	अधिशासी अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
10	विद्युत वितरण मण्डल –II, प्रयागराज	जितेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), पू0वि0वि0नि0लि0
11	विद्युत वितरण मण्डल, फतेहपुर	योगश कुमार मौलिया	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), पू0वि0वि0नि0लि0
12	विद्युत वितरण मण्डल, कौशाम्बी	भारत भूषण	अधिशासी अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
13	विद्युत वितरण मण्डल, प्रतापगढ़	धर्मेन्द्र आनन्द	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), पू0वि0वि0नि0लि0
14	विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी	अनिल कुमार	अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0
15	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल – I, वाराणसी	विनय कुमार	अधिशासी अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
16	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल– II, वाराणसी	इन्द्रराज यादव	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), पू0वि0वि0नि0लि0
17	विद्युत वितरण मण्डल, चंदौली	अंकुर अवस्थी	अधिशासी अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0
18	विद्युत वितरण मण्डल, गाजीपुर	अजात शत्रु	अधिशासी अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0
19	विद्युत वितरण मण्डल –I, जौनपुर	सुरेन्द्र प्रताप सिंह	अधिशासी अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
20	विद्युत वितरण मण्डल –II, जौनपुर	अरूण कुमार सिंह	अधिशासी अभियन्ता (मु0 अनु0), पू0वि0वि0नि0लि0
21	विद्युत वितरण मण्डल–I, आजमगढ़	आशीष कुमार	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), पू0वि0वि0नि0लि0
22	विद्युत वितरण मण्डल–II, आजमगढ	सुनील कुमार	अधिशासी अभियन्ता (सा0प्र0), पू0वि0वि0नि0लि0
23	विद्युत वितरण मण्डल–बलिया	देवी सिंह	अधिशासी अभियन्ता (अनु0 कार्य0), पू0वि0वि0नि0लि0
24	विद्युत वितरण मण्डल–मऊ	राजेन्द्र प्रताप सिंह	अधिशासी अभियन्ता (अनु0 कार्य0), पू0वि0वि0नि0लि0
25	विद्युत वितरण मण्डल, संत रविदास नगर	अशोक कुमार	अधिशासी अभियन्ता (सा0प्र0–द्वि0), पू0वि0वि0नि0लि0
26	विद्युत वितरण मण्डल, सोनभद्र	प्रभा शंकर	अधिशासी अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0
27	विद्युत वितरण मण्डल, मिर्ज़ापुर	मुकेश कुमार	अधीक्षण अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0
28	विद्युत वितरण मण्डल, बस्ती	कमलेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0

15/9/2025

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
29	विद्युत वितरण मण्डल, सिद्धार्थनगर	अनिल कुमार सिंह	अधिशासी अभियन्ता, पू0वि0वि0नि0लि0
30	विद्युत वितरण मण्डल, संत कबीर नगर	अंकुर अग्रवाल	अधिशासी अभियन्ता (तक0), पू0वि0वि0नि0लि0

2- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0–लखनऊ

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
1	विद्युत वितरण मण्डल, वृंदावन	जय प्रकाश वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), म0वि0वि0नि0लि0
2	विद्युत वितरण मण्डल, लखनऊ–ग्रामीण	अखिलेश कुमार सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
3	विद्युत वितरण मण्डल, राजभवन	अमित कुमार गौतम	अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), उ0प्र0पा0का0लि0
4	विद्युत वितरण मण्डल, तालकटोरा	जगनायक सिंह	अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन), उ0प्र0पा0का0लि0
5	विद्युत वितरण मण्डल, चौक	राकेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता (नियोजन), उ0प्र0पा0का0लि0
6	विद्युत वितरण मण्डल, गोमतीनगर	राज कुमार कुर्मी	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
7	विद्युत वितरण मण्डल, इन्दिरानगर	अनुज गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
8	विद्युत वितरण मण्डल, महानगर	राजेश शर्मा	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
9	विद्युत वितरण मण्डल, पुरनिया	अर्श उर रहमान	अधिशासी अभियन्ता (एच0आर0), उ0प्र0पा0का0लि0
10	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी), बरेली	बृजेश कुमार त्रिवेदी	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
11	विद्युत वितरण मण्डल, बदायूँ	अजय पाल गौतम	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
12	विद्युत वितरण मण्डल, पीलीभीत	उपेन्द्र कुमार तिवारी	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
13	विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहाँपुर	ज्ञानेन्द्र सिंह	अधिशासी अभियन्ता (संसदीय कार्य), म0वि0वि0नि0लि0
14	विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर	मनोज कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता (तक0), म0वि0वि0नि0लि0
15	विद्युत वितरण मण्डल, हरदोई	मो0 अयूब	अधिशासी अभियन्ता (सा0प्र0), म0वि0वि0नि0लि0
16	विद्युत वितरण मण्डल, लखीमपुर	बृजेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
17	विद्युत वितरण मण्डल, गोला	रंजीत कुमार	अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), म0वि0वि0नि0लि0
18	विद्युत वितरण मण्डल– I, रायबरेली	राम निहाल वर्मा	अधिशासी अभियन्ता (जाँच समिति), म0वि0वि0नि0लि0
19	विद्युत वितरण मण्डल– II, रायबरेली	विमल कुमार	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
20	विद्युत वितरण मण्डल, उन्नाव	जय प्रकाश शर्मा	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
21	विद्युत वितरण मण्डल, अयोध्या	कामता नाथ पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता (अनु0कार्य0–प्र0), म0वि0वि0नि0लि0
22	विद्युत वितरण मण्डल, अम्बेडकरनगर	प्रमोद कुमार सागर	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), म0वि0वि0नि0लि0
23	विद्युत वितरण मण्डल, गौरीगंज	भजन लाल	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
24	विद्युत वितरण मण्डल, बाराबंकी	बृज मोहन	अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य–प्रथम), उ0प्र0पा0का0लि0
25	विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर	अनुज कुमार	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
26	विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा	पीयूष कुमार सिंह	अधिशासी अभियन्ता (तक0), म0वि0वि0नि0लि0
27	विद्युत वितरण मण्डल, बहराइच	जगदीश पटेल	अधिशासी अभियन्ता, म0वि0वि0नि0लि0
28	विद्युत वितरण मण्डल, बलरामपुर	गौरव शुक्ला	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), म0वि0वि0नि0लि0

3- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0–आगरा

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
1	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी), अलीगढ	तौकीर अहमद खान	अधीक्षण अभियन्ता (प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0
2	विद्युत वितरण मण्डल, एटा	राजेन्द्र प्रसाद यादव	अधिशासी अभियन्ता (अनु0कार्य0), द0वि0वि0नि0लि0
3	विद्युत वितरण मण्डल, हाथरस	मृत्युंजय पाठक	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
4	विद्युत वितरण मण्डल, कासगंज	मनोज कुमार	अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), द0वि0वि0नि0लि0

19/5/2025

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
5	विद्युत वितरण मण्डल, कानपुर नगर	नजमुल होदा	अधिशासी अभियन्ता (पी0एम0सी0), उ0प्र0पा0का0लि0
6	विद्युत वितरण मण्डल, कानपुर देहात	शादाब अहमद	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), द0वि0वि0नि0लि0
7	विद्युत वितरण मण्डल, इटावा	अनूप सिंह	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
8	विद्युत वितरण मण्डल, कन्नौज	रंजीत कुमार	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), द0वि0वि0नि0लि0
9	विद्युत वितरण मण्डल, फर्रुखाबाद	अभिषेक मिश्रा	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
10	विद्युत वितरण मण्डल, औरैया	कुँवर शर्मा	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), द0वि0वि0नि0लि0
11	विद्युत वितरण मण्डल, आगरा	आनन्द गौतम	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
12	विद्युत वितरण मण्डल, फतेहाबाद	मनोज कुमार शर्मा	अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), द0वि0वि0नि0लि0
13	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, फिरोजाबाद	चन्द्रशेखर आजाद	अधीक्षण अभियन्ता (आर0डी0एस0एस0), द0वि0वि0नि0लि0
14	विद्युत वितरण मण्डल, फिरोजाबाद	प्रमोद कुमार सिंह	अधीक्षण अभियन्ता (सा0प्र0–प्र0), द0वि0वि0नि0लि0
15	विद्युत वितरण मण्डल, मैनपुरी	अविनाश गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता (रिवैम्प), द0वि0वि0नि0लि0
16	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मथुरा	गौरव सहगल	अधिशासी अभियन्ता (जेम पोर्टल), द0वि0वि0नि0लि0
17	विद्युत वितरण मण्डल–I, मथुरा	अमित कुमार श्रीवास्तव	अधिशासी अभियन्ता (तक0), द0वि0वि0नि0लि0
18	विद्युत वितरण मण्डल–II, मथुरा	प्रभात सिंह श्योरान	अधिशासी अभियन्ता (तक0), द0वि0वि0नि0लि0
19	विद्युत वितरण मण्डल, बांदा	पवन कुमार	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
20	विद्युत वितरण मण्डल, चित्रकूट	पुनीत जैन	अधिशासी अभियन्ता (तक0), द0वि0वि0नि0लि0
21	विद्युत वितरण मण्डल, हमीरपुर	आश्रय सिंह यादव	अधिशासी अभियन्ता (तक0), द0वि0वि0नि0लि0
22	विद्युत वितरण मण्डल, महोबा	अनिल दुबे	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
23	विद्युत वितरण मण्डल, झाँसी	सतेन्द्र पाल सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0
24	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, झाँसी	हरीश कुमार चौधरी	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, आगरा
25	विद्युत वितरण मण्डल, ललितपुर	अनिल कुमार	अधिशासी अभियन्ता (पी0पी0ए0), उ0प्र0पा0का0लि0
26	विद्युत वितरण मण्डल, उरई	देवेन्द्र प्रताप वर्मा	अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0

4- **पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0–मेरठ**

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
1	विद्युत वितरण मण्डल – I, बुलंदशहर	सुदेश कुमार चौधरी	अधीक्षण अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
2	विद्युत वितरण मण्डल –II, बुलंदशहर	रवि शंकर	अधीक्षण अभियन्ता (इनर्जी एकाउन्टिंग), प0वि0वि0नि0लि0
3	विद्युत वितरण मण्डल –III, बुलंदशहर	हरिकेश	अधीक्षण अभियन्ता (सा0प्र0), प0वि0वि0नि0लि0
4	विद्युत वितरण मण्डल, हापुड़	सुनील कुमार अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
5	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल– I, गाजियाबाद	मनीष कुशवाहा	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
6	विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद	राज कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0
7	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–II, गाजियाबाद	रवि कुमार	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
8	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल –III, गाजियाबाद	अखिलेश्वर प्रसाद	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
9	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी), मेरठ	दीपक कुमार	अधिशासी अभियन्ता (नियोजन), उ0प्र0पा0का0लि0
10	विद्युत वितरण मण्डल, बागपत	शोभित कुरील	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
11	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद	रजनीश कुलश्रेष्ठ	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
12	विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद	अरविन्द सिंह	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0
13	विद्युत वितरण मण्डल, रामपुर	योगेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
14	विद्युत वितरण मण्डल, संभल (भीमनगर)	जितेन्द्र प्रसाद यादव	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
15	विद्युत वितरण मण्डल, अमरोहा	निखिल कुमार	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
16	विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर	सोनू रस्तोगी	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
17	विद्युत वितरण मण्डल, धामपुर	अरूण कुमार	अधिशासी अभियन्ता (तकनीकी), प0वि0वि0नि0लि0
18	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर	विनोद कुमार	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0
19	विद्युत वितरण मण्डल– I, सहारनपुर	अवधेश कुमार	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
20	विद्युत वितरण मण्डल –II, सहारनपुर	धीरेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
21	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर	अरविन्द कुमार गौतम	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
22	विद्युत वितरण मण्डल– I, मुजफ्फरनगर	कृष्ण कुमार सारस्वत	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
23	विद्युत वितरण मण्डल–II, मुजफ्फरनगर	रवीन्द्र प्रकाश	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
24	विद्युत वितरण मण्डल, शामली	विवेक कुमार पटेल	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0
25	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–I, नोएडा	नरेन्द्र कुमार श्रीवास	अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), प0वि0वि0नि0लि0
26	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–II, नोएडा	सत्येन्द्र गंगवार	अधिशासी अभियन्ता, प0वि0वि0नि0लि0

5- **केस्को–कानपुर**

क्र0 सं0	विद्युत वितरण मण्डल	नामित अधिकारी	
		नाम सर्वश्री	पदनाम
1	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी), केस्को–कानपुर	संजय कुमार चौरसिया	अधीक्षण अभियन्ता (पी0पी0ए0), उ0प्र0पा0का0लि0

सभी नामित अधिकारी भ्रमणोपरान्त दिनांक 30.09.2025 तक आवंटित विद्युत वितरण मण्डल के निरीक्षण के निम्न बिन्दुओं के अनुसार भौतिक निरीक्षण करते हुए फोटोग्राफ सहित विस्तृत आख्या **कारपोरेशन मुख्यालय को ई–मेल–ce.respo@uppcl.org** पर एवं सम्बन्धित डिस्कॉम के निदेशक (तकनीकी) को ई–मेल पर प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण हेतु बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. अनुरक्षण माह (सितम्बर/अक्टूबर, 2025) की तैयारी, कार्य–योजना एवं कराये जा रहे कार्यों की स्थिति। **(प्रारूप–1(अ) एवं 1(ब))**
2. अनुरक्षण माह के अन्तर्गत कराये जा रहे विभिन्न कार्यों में से न्यूनतम 05 कार्यों/स्थानों का स्थलीय निरीक्षण। **(प्रारूप– 1(स))**
3. AMISP द्वारा पुराने मीटर को परीक्षणशाला में जमा करने के उपरान्त QC-3 एवं रिकार्ड अभिलेखन (Record Keeping) के पश्चात् बिल संशोधन/राजस्व निर्धारण एवं कारपोरेशन द्वारा जारी SoP सं0–301/नो0स्मा0मी0प्रो0/पाकालि/23 दिनांक 10.08.2023 **(प्रति संलग्न)** का अनुपालन की स्थिति।
   (निरीक्षण अधिकारी द्वारा आख्या प्रारूप–2 में भरकर सम्बन्धित डिस्कॉम के निदेशक (वाणिज्य) को प्रेषित की जाए। उक्त को प्रारूप–3 में संकलित करते हुए सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा कारपोरेशन मुख्यालय को ई–मेल–smartmetercell@uppcl.org पर प्रेषित की जाए।)
4. विद्युत उपकेन्द्रों पर सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति। **(प्रारूप–4)**
5. कार्मिकों द्वारा कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग का फोटोग्राफ सहित स्थलीय निरीक्षण।

संलग्नक :– निरीक्षण आख्या हेतु प्रारूप।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : /रेस्पो/विविध/भ्रमण दिनांक : , 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
2. निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत वितरण मण्डल), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. सम्बन्धित नामित अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), आई0टी0 इकाई, पंचम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

19/9/25

(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
निदेशक (वितरण)

Anurakshan Maah - September/October, 2025

प्रारूप–1 (अ)

Sr. No.	Name of Sub-division	Progress of Works Identified for Anurakshan Maah - September/October, 2025																							
		33/11 KV Switchyard work			33/11 KV Power T/F			11 KV VCB Work in S/S			33 KV Line work			11 KV Line work			Distribution Transformer			0.4 KV Line Work			Protection Works		
		Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%	Target/ Total No.	Work Done	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
1																									
2																									
3																									
Division Total																									
1																									
2																									
3																									
Division Total																									
1																									
2																									
3																									
Division Total																									
1																									
2																									
3																									
Division Total																									
1																									
2																									
3																									
Division Total																									
Circle Total																									

Anurakshan Maah - September/October, 2025

Feeder-wise Patrolling Plan for Maintenance प्रारूप–1 (ब)

Sr. No.	Name of Sub-division	Name of Sub-station	Name of Feeder	Date of Patrolling	Name of JE/TG-2/Lineman	Reference of Work Plan/OM issued
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Inspection of Works undertaken in Anurakshan Maah

प्रारूप–1 (स)

Sr. No.	Name of Sub-station	Works	No. of Works Inspected	Detailed Observation
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1		**33/11 KV Switchyard work**		
		33/11 KV Power T/F		
		11 KV VCB Work in S/S		
		33 KV Line work		
		11 KV Line work		
		Distribution Transformer		
		0.4 KV Line Work		
		Protection Works		
2		**33/11 KV Switchyard work**		
		33/11 KV Power T/F		
		11 KV VCB Work in S/S		
		33 KV Line work		
		11 KV Line work		
		Distribution Transformer		
		0.4 KV Line Work		
		Protection Works		
3		**33/11 KV Switchyard work**		
		33/11 KV Power T/F		
		11 KV VCB Work in S/S		
		33 KV Line work		
		11 KV Line work		
		Distribution Transformer		
		0.4 KV Line Work		
		Protection Works		
4		**33/11 KV Switchyard work**		
		33/11 KV Power T/F		
		11 KV VCB Work in S/S		
		33 KV Line work		
		11 KV Line work		
		Distribution Transformer		
		0.4 KV Line Work		
		Protection Works		
5		**33/11 KV Switchyard work**		
		33/11 KV Power T/F		
		11 KV VCB Work in S/S		
		33 KV Line work		
		11 KV Line work		
		Distribution Transformer		
		0.4 KV Line Work		
		Protection Works		

अधिकारियों द्वारा स्मार्ट मीटर QC-3 हेतु निरीक्षण प्रारूप

प्रारूप–2

परीक्षण खण्ड..... परीक्षणशाला..... निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रारूप

अधिकारी का नाम..... सैप आई.डी. ..... मोबाइल न0..... ई–मेल आई0डी0..... दिनांक.....

क्र0सं0	डिस्कॉम	जोन	मण्डल	खण्ड	अकांउट नम्बर	भार	श्रेणी	पुराने मीटर का विवरण								जले मीटर की स्थिति	अन्तिम बिल MU	स्टोर रीडिंग	QC-2 से भिन्न रीडिंग/ Rejection	मीटर प्राप्त हुआ अथवा नही	भिन्न मीटर नम्बर प्रकरण	डिक्लेरेशन रजिस्टर में प्रविष्टी की स्थिति	बिल संशोधन एवं राजस्व निर्धारण की स्थिति	4–प्रारूप के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टी की स्थिति	4– प्रारूप एक्सेल में प्रविष्टी की स्थिति	नये स्थापित स्मार्ट मीटर का नम्बर	उपखण्ड एवं वितरण को सीलिंग प्रमाण पत्र प्रेषण की स्थिति	आर.एम.एस. में नया मीटर एडवाइज की स्थिति	अन्य विवरण
								मीटर न0	मेक	Kwh	KVAH	MD	नो डिस्प्ले	टैम्पर	QC-पोर्टल पर फोटो की स्थिति (ok/not ok)	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N				
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													

नोट– निरीक्षण अधिकारी द्वारा इस प्रारूप मे निरीक्षण रिपोर्ट डिस्कॉम के निदेशक (वाणिज्य) एवं उ0प्र0 पाकालि0 मुख्यालय को smartmetercell@uppcl.org पर प्रेषित की जाएगी।

प्रारूप–3

अधिकारियो द्वारा **QC-3** निरीक्षण उपरान्त डिस्कॉम द्वारा रिकार्ड अभिलेखन हेतु प्रारूप

दिनांक.....से .....तक

क्र0सं0	डिस्कॉम	जोन	मण्डल	वितरण खण्ड	परीक्षण खण्ड	कुल परीक्षण	नो डिस्प्ले	टैम्पर	जले मीटर	स्टोर रीडिंग	QC-2 से भिन्न फोटो	मीटर न प्राप्त हाने वाले	भिन्न मीटर नम्बर	बिल संशोधन एवं राजस्व निर्धारण की स्थिति	डिक्लेरेशन रजिस्टर में प्रविष्टी की स्थिति	प्रारूप के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टी की स्थिति	4– प्रारूप एक्सेल में प्रविष्टी की स्थिति
						No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	Y/N	Y/N	Y/N	Y/N
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	

नोट– इस प्रारूप में डिस्कॉम निदेशक (वाणिज्य) द्वारा प्रारूप –2 की निरीक्षण रिपोर्ट संकलित कर उ0प0 पाकालि0 मुख्यालय को smartmetercell@uppcl.org प्रेषित की जाएगी।

(प्रारूप–4)

विद्युत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति

विद्युत उपकेंद्र का नाम– .....

क्रम सं०	सुरक्षा उपकरण		उपकरण उपलब्धता	क्रियाशीलता (हाँ/नहीं)	कार्मिकों को कार्य हेतु उपकरणों के आवंटन की स्थिति	अन्य विवरण
	विवरण	संख्या				

ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
निदेशक (वितरण)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
E-mail: directord@uppcl.org
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 2000/रेस्पो/अनुरक्षण माह दिनांकः 26.08.2025

विषय : वितरण प्रणाली में प्रिवेन्टिव मेंटेनेन्स हेतु "अनुरक्षण माह–सितम्बर/अक्टूबर 2025" के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि कारपोरेशन के पत्रांक 154/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 22.01.2025 के माध्यम से वितरण निगमों में Preventive Maintenance के कार्यों हेतु माह फरवरी, 2025 को "अनुरक्षण माह" के रूप में मनाते हुए वितरण क्षेत्र में अभियान के रूप में अनुरक्षण कार्य सम्पादित किये गये थे। इसके उपरान्त ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु के कारण वितरण तन्त्र में आये Stress से उत्पन्न कमियों को अभियान चला कर दूर किये जाने तथा आगामी त्योहारों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के दृष्टिगत **दिनांक 15.09.2025 से 14.10.2025 तक** की अवधि को **"अनुरक्षण माह"** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुरक्षण माह के सफल क्रियान्वयन हेतु वितरण प्रणाली के घटकों यथा लाइनों एवं परिवर्तकों को चिन्हित कर यथावश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध एवं कार्यदायी संस्थाओं की व्यवस्था अग्रिम रूप से की जानी है। अनुरक्षण माह के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत् है–

1. अनुरक्षण माह के अन्तर्गत विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए ध्यान योग्य विशेष बिन्दु :–

   i. विद्युत लाइनों के अनुरक्षण हेतु पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रयास किया जाना वांछित है, विशेषकर पेड़ की टहनियों की कटाई/छटाई (Chopping/Lopping) के कार्य। इनको अनुरक्षण माह के साथ–साथ प्रत्येक 02–03 माह में आवश्यकतानुसार कराया जाए।

   ii. परिवर्तकों एवं उनके प्रोटेक्शन सिस्टम/Tailless Unit/Fuse Set की क्रियाशीलता की जाँच की जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि Tailless Unit/Fuse Set पर उचित size के Fuse लगे हों।

   iii. अधिक ट्रिपिंग के क्षेत्रों में अनुरक्षण हेतु वितरण प्रणाली के घटकों (एच0टी0 एवं एल0टी0 लाइन, परिवर्तक आदि) को चिन्हित कर अनुरक्षण माह की कार्य–योजना में सम्मिलित किया जाए एवं तदनुसार प्राथमिकता पर इनका अनुरक्षण किया जाए। **कार्य–योजना General/Superficial न होकर Site Specific हो जिसमें कि अनुरक्षण के लिए चिन्हित घटकों के स्पष्ट विवरण सहित इनके अनुरक्षण हेतु नियोजित तिथि का भी उल्लेख किया जाए।**

26.08.2025

iv. यह सुनिश्चित किया जाए कि Feeder Modem तथा AMISP द्वारा स्थापित Feeder Meters (Communicating with NFMS) क्रियाशील हों तथा उनके कनेक्शन ठीक हो जिससे कि SAIFI, SAIDI में सही डाटा परिलक्षित हो सके।

v. कारपोरेशन स्तर से समय–समय पर वितरण प्रणाली के उपकरणों के प्रिवेन्टिव मेंटेनेन्स हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित आदेश संम्मिलित हैं **(प्रतिलिपि संलग्न)**–

अ) पत्रांक 1801/रेस्पो/क्वालिटी सेल, दिनांक 23.06.2022
ब) पत्रांक 3100/रेस्पो/क्वालिटी सेल, दिनांक 03.11.2022
स) पत्रांक 1984–डी0एस0एम0/पॉवर कॉन्क्लेव/2022, दिनांक 14.12.2022
द) पत्रांक 2408/रेस्पो/क्वालिटी सेल/57–23, दिनांक 15.06.2023
य) पत्रांक 21/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 04.01.2024 एवं पत्रांक 30/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 05.01.2024 के माध्यम से उपकेन्द्रों एवं पावर परिवर्तकों तथा वितरण परिवर्तकों के निरीक्षण एवं परीक्षण सहित इनकी क्षतिग्रस्तता कम करने के परिप्रेक्ष्य में निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त का संज्ञान लेते हुए कार्य–योजना में आवश्यक अनुरक्षण कार्य सम्मिलित कर दिनांक 14.10.2025 तक इन्हें पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. अनुरक्षण माह सितम्बर–अक्टूबर, 2025 के अन्तर्गत कार्यवाही का विस्तृत विवरण :–

i. अधिशासी अभियन्ता (वि0) के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी (वि0) एवं अवर अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों, वितरण परिवर्तकों तथा एच0टी0 एवं एल0टी0 लाइनों, मीटरिंग यूनिट आदि वितरण प्रणाली के घटकों का निरीक्षण कर वांछित अनुरक्षण के कार्यों को चिन्हित कर लिया जाए तथा इन कार्यों के सम्पादन हेतु कार्य–योजना (वांछित केन्द्रीयकृत एवं विकेन्द्रीयकृत सामग्री की मात्रा सहित) दिनांक 05.09.2025 तक तैयार कर ली जाए। सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता इस हेतु निरन्तर अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य योजना समय से तैयार कर ली जाए। इस हेतु डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों (प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/मुख्यालय स्तर पर नियुक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता (वि0)/अधीक्षण अभियन्ता (वि0)/अधिशासी अभियन्ता (वि0)) द्वारा पर्याप्त अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाएगा।

ii. निरीक्षण के दौरान ध्यान रखे जाने वाले मुख्य बिन्दुओं तथा आवश्यक सुधार कार्यों की सूची पत्र के साथ संलग्न है **(संलग्नक–01)**। कार्य–योजना में अनुरक्षण हेतु वांछित सामग्री का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए। अनुरक्षण कार्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न है **(संलग्नक–02)**। उक्तानुसार निरीक्षण के दौरान चिन्हित ऐसे कार्य जोकि बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराए जाने हैं उन्हें भी कार्य योजना में पृथक रूप से उल्लिखित किया जाए। इस प्रकार कार्य–योजना तैयार कर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वि0) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (वि0)/मुख्य अभियन्ता (वि0) के माध्यम से डिस्कॉम मुख्यालय को दिनांक 08.09.2025 तक ई–मेल पर प्रेषित किया जाएगा। डिस्कॉम

28/11/25

द्वारा वितरण क्षेत्रवार उक्त विवरण दिनांक 10.09.2025 तक कारपोरेशन मुख्यालय को ई–मेल (ce.respo@uppcl.org) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

iii. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0– 1300–कार्य/चौदह–पाकालि/2024–03–के/2000 दिनांक 10.07.2024 (**प्रतिलिपि संलग्न**) के माध्यम से विभिन्न मदों के अन्तर्गत कार्य सम्पादन हेतु क्रय कार्य की लागत के आधार पर अधिकार की सीमा तथा क्रय प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। तदनुसार अनुरक्षण माह में कराए जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक क्रय का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। (संदर्भ हेतु केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत सामग्री की समेकित सूची पत्र के साथ संलग्न है)।

3. दिनांक 15.09.2025 से 14.10.2025 की अवधि में उपरोक्त कार्य–योजना के अनुक्रम में वितरण तंत्र के अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त आवश्यक कार्यों का सम्पादन किया जाएगा। अनुरक्षण हेतु वांछित सामग्री/संसाधन की व्यवस्था अग्रिम रूप से कर ली जाए। अनुरक्षण माह के दौरान अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा दैनिक रूप से, अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा साप्ताहिक रूप से तथा मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा पाक्षिक रूप से अनुरक्षण कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।

4. अनुश्रवण के दौरान 11 के0वी0 फीडर की ट्रिपिंग की भी समीक्षा की जाएगी। मुख्य अभियन्ता (वितरण) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा अपने कार्यक्षेत्रों के अधीन स्थापित समस्त स्मार्ट मीटर के डाटा का विश्लेषण किया जाएगा एवं शटडाउन का अनुश्रवण भी किया जाएगा।

5. इस अवधि में सम्पादित अनुरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही/गतिविधि का विवरण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वि0) द्वारा संकलित रूप में अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता के माध्यम से दिनांक 18.10.2025 तक डिस्कॉम मुख्यालय को ई–मेल पर प्रेषित किया जाएगा। डिस्कॉम द्वारा वितरण क्षेत्रवार उक्त विवरण दिनांक 20.10.2025 तक कारपोरेशन मुख्यालय को ई–मेल (ce.respo@uppcl.org) पर उपलब्ध कराया जाएगा।

6. दिनांक 24.10.2025 से 31.10.2025 की अवधि मे डिस्कॉम द्वारा अभियान के रूप में अनुरक्षण कार्यों का सत्यापन/निरीक्षण कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार उ0प्र0पा0का0लि0 एवं उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कार्य किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से औद्योगिक एवं स्वतंत्र पोषकों हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं के सापेक्ष जाँच की जायेगी–

i. फीडरवार वोल्टेज तथा अधिकतम भार (एम्पीयर)। अतिभारित फीडरों पर सम्पादित अनुरक्षण कार्यों की स्थिति तथा अतिभारिता के निराकरण हेतु कृत कार्यवाही।

ii. फीडरवार विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा ट्रिपिंग की स्थिति का निम्नानुसार विश्लेषण किया जाएगा –

No. of Trippings			Duration of Trippings		
Shutdown	Breakdown	Total	Shutdown	Breakdown	Total

नोट– उक्त ट्रिपिंग की स्थिति का दिनांक 01.09.2025 के ट्रिपिंग के आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तथा समस्त फीडरों पर स्थापित AMISP स्मार्ट मीटर के डाटा का उक्त हेतु प्रयोग किया जाए।

26/11/2025

iii. अधिकतम विद्युत व्यवधान वाले फीडरों पर सम्पादित अनुरक्षण कार्यों की स्थिति।

iv. आपूर्ति सम्बन्धी शिकायत रजिस्टर के अनुसार शिकायतों का निस्तारण।

v. टेस्टिंग रजिस्टर के अनुसार उपकेन्द्र के टेस्टिंग में प्राप्त प्रतिकूल परिणामों के सापेक्ष कृत कार्यवाही।

7. डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर उपरोक्त बिन्दुओं तथा **प्रारूप–'क' एवं 'ख' (संलग्न)** के अनुसार वितरण प्रणाली के निरीक्षण की व्यवस्था निम्नवत् होगी –

i. प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) तथा निदेशक (तकनीकी) द्वारा सम्बन्धित वितरण निगम के अन्तर्गत न्यूनतम 20 (बीस), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण। उक्त निरीक्षण हेतु ऐसे उपकेन्द्रों का चयन किया जाएगा जिनमें ग्रीष्मकाल–2025 में सर्वाधिक समस्या हुई हो। यह अपेक्षित है कि बिजनेस प्लान में अतिभारिता वाले उपकेन्द्रों/परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि हेतु प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (तकनीकी) द्वारा परिवर्तकों के Delivery Schedule के आधार पर Priority List बना दी गयी होगी।

ii. विद्युत वितरण निगम स्तर पर नियुक्त अन्य सभी निदेशक (वाणिज्य/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) एवं डिस्कॉम मुख्यालय पर नियुक्त तकनीकी अधिकारियों (समस्त मुख्य अभि0/अधीक्षण अभि0/अधिशासी अभि0/सहायक अभि0) द्वारा सम्बन्धित डिस्कॉम के अन्तर्गत दो वितरण क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रति–वितरण क्षेत्र न्यूनतम तीन–तीन, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण (प्रत्येक अधिकारी द्वारा कुल 06 उपकेन्द्रों का निरीक्षण)।

इस हेतु प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) द्वारा निदेशक (डिस्कॉम) व अन्य अधिकारियों को उक्तानुसार निरीक्षण के लिए वितरण क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे।

iii. मुख्य अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 20 (बीस), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों (समस्त मण्डलों को आच्छादित करते हुए) का निरीक्षण।

iv. अधीक्षण अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित वितरण मण्डल के अन्तर्गत कुल 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के न्यूनतम 20 (बीस), 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों (समस्त खण्डों को आच्छादित करते हुए) का निरीक्षण किया जाएगा।

v. अधिशासी अभियन्ता (वि0) द्वारा सम्बन्धित खण्ड के अन्तर्गत समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निरीक्षण। उपखण्ड अधिकारी (वि0) द्वारा अपने अधीन समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा 100 के0वी0ए0 से अधिक क्षमता के समस्त वितरण परिवर्तकों का निरीक्षण। अवर अभियन्ता (वि0) द्वारा अपने अधीन समस्त 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा वितरण परिवर्तकों का निरीक्षण।

नोटः– उपरोक्त बिन्दु सं0– 05 (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अनुसार निरीक्षण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐसे क्षेत्रों/स्थलों का चयन किया जाए जिनमें ग्रीष्मकाल–2025 में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षाकृत अधिक व्यवधान उत्पन्न हुए। निरीक्षण कार्य का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि एक ही 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के एक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों (अधीक्षण अभि0/मुख्य अभि0/निदेशक/प्रबन्ध निदेशक) द्वारा निरीक्षण की स्थिति सामान्यतः उत्पन्न न हो। अभियान के दौरान किए गए अनुरक्षण कार्यों की जाँच हेतु प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) द्वारा मुख्यालय स्तर के अधिकारियों तथा मुख्य अभियन्ता

26/11/2024

(वि0) द्वारा स्वयं किए जाने वाले निरीक्षण हेतु 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की सूची दिनांक 15.10.2025 को ही (उससे पूर्व नहीं) जारी की जाएगी। उक्त सूची की प्रति अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0पा0का0लि0 तथा अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित की जाएगी।

8. अनुरक्षण कार्य हेतु शटडाउन योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार लिया जाए कि आपूर्ति सम्बन्धित Reliability Index (SAIFI & SAIDI) प्रभावित न हो। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–719 (A) / मु0अ0 / सी0एम0यू0(डी0) / ई.ई–1 / विद्युत आपूर्ति दिनांक 27.03.2024 **(प्रतिलिपि संलग्न)** के माध्यम से 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 शटडाउन के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन किया जाए। **अनुरक्षण माह की अवधि में पड़ने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान अत्यंत आवश्यकता होने पर ही judiciously शटडाउन लिया जाए एवं दशहरा पर्व पर शटडाउन न लिया जाए।** अनुरक्षण माह के उपरान्त उक्त Reliability Index (SAIFI & SAIDI) में पूर्व की अपेक्षा सुधार परिलक्षित होना वांछित है तथा इनके खराब होने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
9. अनुरक्षण माह सितम्बर–अक्टूबर, 2025 के उपरान्त दीपावली पर्व एवं शीतऋतु के दृष्टिगत आवश्यक है कि अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों का गम्भीरतापूर्वक सम्पादन क्षेत्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
10. कृपया उक्त का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

16/11/2025

(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
निदेशक (वितरण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, 7वां तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यांचल–लखनऊ / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ / केस्को–कानपुर।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यांचल–लखनऊ / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यांचल–लखनऊ / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ / केस्को–कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार / सामग्री प्रबन्धन), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यांचल–लखनऊ / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यांचल–लखनऊ / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ / केस्को–कानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता (भण्डार / भण्डार क्रय), केस्को–कानपुर।

विद्युत वितरण प्रणाली में अनुरक्षण सम्बन्धी प्रमुख गतिविधियों की सूची

I. 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का सघन निरीक्षण कर स्विचयार्ड में स्थापित विभिन्न उपकरणों, पावर परिवर्तक तथा कण्ट्रोल रूम के उपकरणों की जांच करना तथा कमियों का निराकरण कराया जाना।

II. 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के स्विचयार्ड में–

- 33 के0वी0 इनकमिंग लाईन के लाइटनिंग अरेस्टर्स तथा उनके स्ट्रक्चर एवं अर्थिंग की जांच कर क्षतिग्रस्त पाए जाने पर ठीक कराया जाना।
- आईसोलेटर के Jaws/Blades सहित इनकी कार्यशीलता की जांच एवं तदनुसार आवश्यक मरम्मत/प्रतिस्थापन कराया जाना।
- अर्थिंग पिट्स में Resistance की जांच कर ठीक कराया जाना।
- Bus Bar एवं Lugs/Clamps/Connections की जांच करना तथा Hot Spots/Abnormal Sound/Vibration पाए जाने पर तत्काल निराकरण कराया जाना।
- स्विचयार्ड में सामान्य साफ–सफाई सुनिश्चित करना तथा घास/ज्वलनशील पदार्थ पाए जाने पर तत्काल हटाया जाना।
- पोल फेन्सिंग/बाउण्ड्री/गेट क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मरम्मत कार्य कराया जाना।

III. 33/11 के0वी0 पावर परिवर्तक हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करना –

- परिर्वतक की भारिता की जांच करना तथा अतिभारिता होने पर आवश्यक कार्यवाही (भार स्थानान्तरित, क्षमतावृद्धि आदि) कराया जाना।
- परिवर्तक तेल के स्तर की जांच (atleast 50% in Conservator Tank) तथा आवश्यकतानुसार ऑयल फिलिंग कराना। परिवर्तक से तेल रिसाव की जांच कर रिसाव पाए जाने पर सीलिंग आदि के माध्यम से निराकरण कराना।
- Insulation Resistance (HV to LV, HV & LV to Earth) की जांच करना एवं मानक से कम पाए जाने पर तदनुसार दोष का निराकरण करना।
- परिवर्तक तेल तथा वाइन्डिंग के तापमान की जांच एवं Overheating पाए जाने पर निराकरण कराया जाना।
- Breather में Silica gel तथा Seal में तेल की जांच करना तथा अनुपयुक्त पाए जाने पर आवश्यकतानुसार बदलने की कार्यवाही करना।
- Bushings में Cracks तथा Arcing Horn के गैप सहित लाइटनिंग अरेस्टर्स की भी जांच करना एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत/प्रतिस्थापन करना।
- परिवर्तक बॉडी एवं न्यूट्रल हेतु पृथक–पृथक अर्थिंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अर्थिंग में Resistance की भी जांच करना (Resistance 01 ohm से कम होना चाहिए) तथा आवश्यक सुधार कार्य कराना।

- Buchholz relay में ट्रिपिंग एवं अलार्म की जांच तथा समुचित कार्यशीलता न पाए जाने पर निराकरण कराया जाना।
- Explosion vent diaphragm में Cracks/leakages की जांच तथा आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कार्य कराना।
- Cable Jointing kit एवं अन्य Joints/Connections की Tightness की जांच करना तथा Hot Spots पाए जाने पर तत्काल निराकरण कराया जाना।
- यदि वर्तमान वर्ष में परिवर्तक तेल की बी0डी0वी0 की जांच अद्यतन एक बार भी न करायी गयी हो तो सैम्पल लेकर बी0डी0वी0 का परीक्षण कराया जाना। बी0डी0वी0 मानक से कम पाए जाने पर तेल शोधन/परिवर्तन की कार्यवाही कराना।

IV. 33/11 उपकेन्द्र में वी0सी0बी0 की कार्यशीलता का परीक्षण, Tripping/Closing की जांच, Relay एवं Control Panel की जांच, कैपेसिटर बैंक (यदि उपलब्ध) की कार्यशीलता की जाँच तथा अकार्यशील पाए जाने पर आवश्यक अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराया जाना।

V. Control Room में Battery के विभव सहित Specific Gravity/ water level तथा Battery Charger की जांच कर समुचित कार्यशीलता सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त Control Room में केबिल ट्रेंच बालू से भरी न होने पर तदनुसार बालू भराया जाना। Fire Extinguisher को आवश्यकतानुसार Refill कराया जाना।

VI. <u>विद्युत वितरण परिवर्तकों हेतु–</u>

- भारिता तथा लोड बैलेन्सिंग की जांच (विशेषकर गत ग्रीष्म ऋतु में अधिक क्षतिग्रस्तता वाले परिवर्तकों हेतु) कराते हुए अतिभारिता अथवा अनबैलेन्सिंग पाए जाने पर परिवर्तक से निर्गत होने वाले सर्किट्स एवं संयोजनों की जांच करना तथा उक्त कमियों का निराकरण कराया जाना।
- परिवर्तक से तेल रिसाव की जांच तथा रिसाव पाए जाने पर सीलिंग आदि के माध्यम से रिसाव रोकने हेतु कार्यवाही करना।
- परिवर्तक में आवश्कतानुसार टॉप–अप कराया जाना।
- परिवर्तक की अर्थिंग की जांच कर ठीक कराया जाना।
- Breather/Silica gel की जांच तथा आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापन।
- उचित क्षमता के Fuse की स्थापना सुनिश्चित करना।
- Vegetation Clearance कराया जाना।

VII. <u>विद्युत लाइन हेतु –</u>

- Tree Clearance (लाइन पर आने वाले वृक्षों की छटाई कराना)।
- क्षतिग्रस्त इन्सुलेटर को बदलना।
- लाइन में विद्युत कन्डक्टर का ज़मीन/सड़क से न्यूनतम दूरी सुनिश्चित कराना। ढीले स्पैन/स्टे टाइट करना।
- Loose Jumpers को Tight करना/पी0जी0 क्लैम्प के माध्यम से बदलना।

- विद्युत लाइन हेतु प्रयुक्त कन्डक्टर की स्थिति की जाँच करना तथा जर्जर तार होने पर प्रतिस्थापित किया जाना।
- विद्युत लाइन में खम्भे टेढ़े अथवा जंगयुक्त (स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) हो तो उसे ठीक कराया जाये।
- रोड क्रॉसिंग पर विद्युत कन्डक्टर का ज़मीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रॉसिंग पर गार्डिंग की समुचित स्थापना सुनिश्चित कराना।
- लाइन क्रॉसिंग पर दोनों लाइनों के मध्य क्लियरेन्स की जाँच करना तथा लाइन क्रॉसिंग पर गार्डिंग की समुचित स्थापना सुनिश्चित कराना।
- लाइन के समस्त एंगिल पोलों एवं डबल पोलों पर स्थापित स्टे विधिवत चेक कराना/टाइट कराना।
- समस्त 33 केवी एवं 11 केवी पोषकों की समुचित ट्रिपिंग सुनिश्चित कराना।
- समस्त केबिलों के अर्थिंग स्ट्रिप के कसाव को चेक करना एवं तदनुसार बदलना।

VIII. विद्युत तंत्र पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक विद्युत कर्मी के पास समस्त विद्युत सुरक्षा उपकरण यथा सेफ्टी बेल्ट, अर्थिंग चेन, हैण्ड–ग्लव्स, हेलमेट इत्यादि की उपलब्धता तथा इनका उचित प्रयोग सुनिश्चित कराना।

(उपरोक्त सूची सांकेतिक रूप से सन्दर्भ हेतु उपलब्ध करायी गयी है। वितरण क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य समस्त अनुरक्षण के कार्यों को भी उपरोक्त सूची में सम्मिलित कर तदनुसार कार्यवाही करायी जानी है।)

Reference list of items for Preventive Maintenance

Sr. No.	Items
1	Aluminium binding wire (5 & 6 mm dia)
2	LT clamp with nuts & bolts of PCC Pole with neutral
3	LT Shackle insulator
4	Bolts & Nuts for Shackel
5	Neutral cum earth wire GI Wire 7.16 mm or 6 SWG
6	Aluminium jointing sleave for AAAC conductor Weasel/Rabbit
7	Aluminium jointing sleave for ACSR conductor Weasel/Rabbit
8	Spacer LT PVC
9	LT PVC Cable 3.5x70/35 sq mm
10	LT PVC Cable 3.5x150/70 sq mm
11	11 kV & 33 kV cable jointing kit (indoor/outdoor/straight through)
12	33 kV & 11 kV insulators (Pin,Post,Disc)
13	ALLUMINIUM LUG BOLTED TYPE
14	ALLUMINIUM CRIMPING LUG
15	Al. PG clamps Weasel to Weasel
16	Al. PG clamps Dog to Dog
17	ACSR Weasel Conductor
18	ACSR Dog Conductor
19	A.B.C. 3x50 Sqmm
20	A.B.C. 3x95 Sqmm
21	A.B.C. 3x120 Sqmm
22	A.B.C. 1x16+1x25 Sqmm
23	Suspension Clamp for AB Cable
24	33 kV & 11 kV Lightning Arrester
25	Transformer Oil
26	33 KV DO Fuse Set
27	LT Distribution Box 1-Phase
28	LT Distribution Box 3-Phase
29	11 KV Jaw & Blade Of Copper Strip Suitable 11 KV TPMO
30	TINNED COPPER FUSE WIRE
31	Control Cable
32	Terminal & Connector
33	11 kV & 33 kV C.T-PT Unit (Outdoor)
34	33 KV CT 200/100/1-1A
35	11 KV CT 200/100/5 A, 300/150/5 A , 400/200/5 A , 600/300/5 A
36	Vacuum Interrupter 11 KV
37	Spare parts of VCB/OCB i.e. tripping/closing coil, charging spring male- female contacts, interrupter etc.

Reference list of items for Preventive Maintenance

Sr. No.	Items
38	Protection Relay
39	Silica Gel
40	PVC Adhesive Tape

**The above list is for reference purpose only. Actual items required for maintenance work shall be listed and arranged as per the pre-inspection/survey conducted in the month of September/October, 2025 by JE/SDO as included under the activities decided for 'Maintenance Month'*

प्रारूप–'क'

Format for Inspection of 33/11 kV Substation

Name of Distribution Division-
Name of Distribution Sub-Division-
Name of 33/11 kV Substation -
Capacity of 33/11 kV Substation (MVA) -
Name & Designation of Inspecting Officer -
Date of Inspection-

Switchyard & Control Room

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy if found any
A	**Switchyard**		
1	Bus Bar		
2	Joints, Jumpers, Connectors & Clamps		
3	Fuse Set		
4	Lightning Arrestor		
5	Earthing		
6	Pale Fencing/Boundry/Gate		
7	Grass, Creeper on structures & General Cleanliness		
8	Bucket filled with sand		

B	**Control Room**		
1	Battery		
2	Battery Charger		
3	Sand in cable trench		
4	Availability of Sand filled buckets		
5	Fire Extinguisher		
6	Leakage of water from roof		
7	Exhaust fan & Lighting		
8	Cleanliness		
9	Availability of Hydrometer		
10	Self Sticking Stickers for Shutdown (as per letter no. 2843/RESSPO/Quality Cell dated 17.07.2023)		

C	**Power Transformer wise Working condition of 11kV Capacitor Bank/ APFC**		
1	Capacity in MVAR		
2	Date of Installation		
3	Functional (Yes/No)		
4	Warranty status if not functional		
5	AMC Status		

D	Training & Orientation (To be filled for the staff of the substation)				
D (1) General & Technical awareness of JE & SSO					
S. No.	**Points**	**Having knowledge**			
		All	**Most**	**Some**	**Very less/ None**
1	knowledge of Daily check points of different equipment installed at substation				
2	Knowledge of recording different electrical parameters (Energy, Current, Voltage, Oil & Winding temperature, knowledge of MF, specific gravity of battery water etc.)				
3	Knowledge of protection relay settings				
4	Operational sequence of switchgears for providing shut down and for charging of line after returning shutdown				
5	Knowledge of function of buchholz relay				
6	Knowledge of using fire extinguishers				
7	What to do and not to do in case of electrical fire				
8	How to check hot points in switchyard by visualization				
9	Working of Current transformer (CT) and Potential transformer (PT)				
10	Knowledge of different type of registers to be maintained at sub-stations				
11	Knowledge of SWG of fuse wire required for installed power transformer				
12	Maximum & Minimum load on power transformers and 11 kV feeders during the year				
13	Knowledge of using different testing & measuring instrument like Multimeter, Megger, Earth resistance tester etc.				
14	Knowledge of different conductors and AB cables of various sizes and their maximum current carrying capacity				
15	Knowledge of rated current of power transformers and distribution transformers of different capacities				
16	No. of consumers (Category wise) in the area				
D (2) General & Technical awareness of Lineman					
S. No.	**Points**	**Having knowledge**			
		All	**Most**	**Some**	**Very less/ None**
1	No. of consumers (Category wise) in the area				
2	List of defaulter consumers				
3	Name and sanctioned load of industrial consumers in the area				
4	No. of installed Distribution Transformers (Capacity wise)				
5	List of Distribution transformers damaging frequently on same plinth and remedies required or done to avoid the same				
6	Knowledge of load balancing of distribution transformers				
7	Knowledge of rated current of distribution transformers of different capacities				
8	Knowledge of SWG of fuse wire required for installed distribution transformer (HT & LT side both)				
9	Knowledge of using Multimeter/Clamp meter				
10	Procedure of taking shutdown and returning the same				
11	Knowledge of length and route of associated 11 kV & LT lines, crossings of HT over HT and HT over LT				
12	Knowledge of safety precautions to be taken while working on lines				

Format for Inspection of 33/11 kV Power Transformer

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy found (if any)
E	**Power Transformer No.-**		
	Capacity (MVA)-		
	Make of Transformer-		
	Date of Installation-		
	Date of repairing (if repaired)-		
1	Oil Level in Conservator Tank		
2	Overheating (red hots) at terminal connections		
3	Tightness of Clamp connections, joints		
4	Abnormal Noise & Vibration		
5	Insulation Resistance of Power Transformer (HV to LV, HV & LV to Earth after disconnecting neutral)		
6	Lightning Arrestors of Power Transformer		
7	Oil leakage from Transformer Body & Radiator		
8	Buchholz Relay (Alarm & Trip contacts)		
9	Bushings (HV/LV) for cleanliness and cracks		
10	Condition of transformer body earthing (at 02 different points)		
11	Condition of neutral earthing (separate from body earthing)		
12	Breather-Silica Gel Color & Oil in the Seal		
13	Oil Temperature		
14	Winding Temperature		
15	Transformer Loading		
16	PRV/Explosion Vent Diaphragm (cracks,leakages etc.)		
17	Arcing Horn		
18	Last date & results of transformer oil testing for BDV		
19	Cable Jointing kit at HT side		
20	Condition of cooling fans (if applicable)		

Format for Inspection of 33 KV & 11 KV Switchgear

S. No.	Particulars	If found OK then mark ✓ (mention date where required)	Mention Discrepancy found (if any)
F	**11 kV Switchgear Name -**		
1	Tripping		
2	Last date of testing of Tripping (if not found ok)		
3	Metering (last date of testing by check meter & its results)		
4	11 kV Cable as per load on Incoming & Outgoing		
5	Indoor & Outdoor Cable box condition		
6	11 kV CT as per load on Incoming & Outgoing		
G	**33 kV Switchgear & Control Panel Of T/F No-**		
1	33 kV Isolator (Jaws, operating mechanism etc.)		
2	Operating Condition of VCB		
3	Condition of Control Panel		
4	Local/Remote Closing & Tripping		
5	Auto/Manual Tripping		
6	Last date of testing of Tripping (if not found ok)		

Significant events if any		
S. No.	**Detail of events**	**Date of occurance**
1		
2		
3		

Previous inspection details

Date of inspection:
Name of Officer:
Designation:

S. No.	Major shortcomings found in previous inspection	ATR
1		
2		
3		

Joint inspection with EE Transmission & EE (Test)

Date of last Relay synchronization:

Inspected By-

Signature:
Name:
Designation:
Date of inspection:

प्रारूप–'ख'

Format for Inspection of Distribution Transformer

Name of Distribution Division-
Name of Distribution Sub-Division-
Name of Concerned 33/11 kV Substation -
Capacity of Concerned 33/11 kV Substation -
Name of 11 kV Feeder-
Detail of Distribution Transformer Checked (Location & Capacity) -
Date of Inspection-

S.No.	Particulars	If found OK then mark-✓	Mention Discrepancy found (if any)
1	Foundation/Plinth/M.S. Channel Condition		
2	Earthing (Body, Neutral & LA)		
3	Oil leakages (body,conservator,gaskets)		
4	Oil level of Conservator (if available)		
5	DO Fuse Set (HT)		
6	Bushings (HT & LT)		
7	Breather-Silica Gel Color & Oil in the Seal		
8	Vent pipe diaphragm		
9	Terminals & tightness of connections (connection through lugs)		
10	Lightning Arrestor		
11	Loading *(mention load in Amp.)*		
12	Insulation Resistance		
13	Safe access to DTR		
14	Vegetation Clearance		
15	MCCB/Fuse set on LT side		
16	Load Balancing of DTR		

Inspected By-

Name:
Designation:
Date of inspection:

(Signature)

Centralised Material

S.No.	Items
1	*2*
1	LT XLPE Cable AL. 2x6 sq. mm
2	LT XLPE Cable AL. 3.5x50 sq.mm
3	LT XLPE Cable AL. 3.5x70 sq.mm
4	LT XLPE Cable AL. 3.5x150 sq.mm
5	LT XLPE Cable AL. 3.5x240 sq.mm
6	LT XLPE Cable AL. 3.5x400 sq.mm
7	LT XLPE Cable AL. 1x120 sq.mm
8	LT XLPE Cable AL. 1x240 sq.mm
9	LT XLPE Cable AL. 1x400 sq.mm
10	LT XLPE Cable AL. 1x630 sq.mm
11	LT XLPE Cable AL. 1x1000 sq.mm
12	11 kV XLPE Cable AL. 3x35 sq.mm
13	11 kV XLPE Cable AL. 3x70 sq.mm
14	11 kV XLPE Cable AL. 3x120 sq.mm
15	11 kV XLPE Cable AL. 3x185 sq.mm
16	11 kV XLPE Cable AL. 3x300 sq.mm
17	33 kV XLPE Cable AL. 3x120 sq.mm
18	33 kV XLPE Cable AL. 3x300 sq.mm
19	LT AB Cable (1x25 + 1x16) sq.mm
20	LT AB Cable (3x50+1x35+1x16) sq.mm
21	LT AB Cable (3x95+1x70+1x16) sq.mm
22	LT AB Cable (3x120+1x95+1x16) sq.mm
23	LT PVC Armoured Al. Cable 4x25 sq mm
24	LT PVC Un-armoured Al. Cable 4x25 sq mm
25	LT PVC Armoured Al. Cable 4x16 sq mm
26	LT PVC Un-armoured Al. Cable 4x16 sq mm
27	LT PVC Armoured Al. Cable 4x10 sq mm
28	LT PVC Un-armoured Al. Cable 4x10 sq mm
29	LT PVC Armoured Cable size 2Cx10 Sq. mm
30	LT PVC Un-armoured Cable size 2Cx10 Sq. mm
31	LT PVC Armoured Cable size 2Cx6 Sq. mm
32	LT PVC Un-armoured Cable size 2Cx6 Sq. mm
33	LT PVC Armoured Cable size 2Cx4 Sq. mm
34	LT PVC Un-armoured Cable size 2Cx4 Sq. mm
35	Armoured Control cable 4x2.5 sq. mm
36	Un-armoured Control cable 4x2.5 sq. mm
37	Armoured Control cable 2x2.5 sq. mm
38	Un-armoured Control cable 2x2.5 sq. mm
39	PCC Pole 8.5 Mtr.
40	PCC Pole 9.0 Mtr.
41	PCC Pole 11 Mtr.

S.No.	Items
1	*2*
42	STP 9.0 M -IS 410 SP-33
43	STP 11M-IS 410 SP-55
44	STP SP-70, 13 Mtr.
45	Disc Insulator (T&C TYPE) - 45 KN 11 kV
46	Disc Insulator (B&S TYPE) - 70 KN 33 kV
47	Polymeric Disc Insulator 45 KN (T&C Type)
48	Polymeric Disc Insulator 70 KN (B&S Type)
49	Disc Fitting 45 KN (T&C TYPE)
50	Disc Fitting 70 KN (B&S TYPE)
51	Pin Insulator 11 kV
52	Pin Insulator 33 kV
53	Polymeric 11 kV Pin Insulator
54	Polymeric 33 kV Pin Insulator
55	11 kV Pin with Nut
56	33 kV Pin with Nut
57	11 kV V-Type Steel Cross Arm
58	33 kV V-Type Steel Cross Arm
59	ACSR Weasel Conductor
60	ACSR Rabbit Conductor
61	ACSR Raccon Conductor
62	ACSR Dog Conductor
63	ACSR Panther Conductor
64	Stay Wire (3.15 MM) 7/10 SWG (GSS Wire)
65	Stay Wire (4.0 MM) 7/8 SWG (GSS Wire)
66	G.I. Wire 3.15 MM 10 SWG
67	G.I. Wire 4 MM 8 SWG
68	G.I. Wire 5 MM 6 SWG
69	11 kV Stay Set (16x1800 mm)
70	33 kV Stay Set (20x1800 mm)
71	M.S. Earthing rod (2540x20 mm)
72	Electronic KWH Meter 1Px2W 5-30/10-60A
73	Electronic KWH Meter 3Px4W10-60A
74	Electronic TVM LT (CT Connected) (Meter only)
75	3Px4W, LT TVM, 3x240V, 40-200A, Direct Connected with LPR
76	Electronic TVM 11 kV (Cat-C)
77	Electronic TVM 33 kV (Cat-C)
78	3-Phase 4-Wire (10-60 Amp.) Meter with LPR
79	Single Phase Meter box
80	Three Phase Distribution box
81	1-phase Net Meter with Meter Box
82	3-phase Net Meter with Meter Box
83	LT TVM Net Meter
84	11 kV HT Net Meter

S.No.	Items
1	*2*
85	33 kV HT Net Meter
86	11 kV Pilfer Resistant Metering Cubicle
87	33 kV Pilfer Resistant Metering Cubicle (0.2s Accuracy)
88	11 kV CT/PT Metering Pole Mounted Unit
89	33 kV CT/PT Metering Pole Mounted Unit
90	11 kV VCB I/C CTR 600/300/5A, 350 MVA, 24 Volt (1250 Amp.)
91	11 kV VCB For O/G CTR 200/100/5A 350 MVA (1250 Amp.)
92	Line Isolator 800 A, 33 kV
93	Bus Isolator 800 A, 33 kV
94	Lightening Arrestor 33 kV
95	3-Phase D.O. Fuse Set
96	11 kV Fuse Set
97	33 kV Fuse Set
98	11 kV TPMO with Polymer Insulator
99	33 kV CT, 200/100/1-1-1A
100	33 kV CT, 400/200/1-1-1A
101	33 kV PT (Outdoor) (33 kV/110V)
102	33 kV VCB 800A, 750 MVA
103	33 kV VCB 1250 A
104	T/F 11/2.5 kV, 10 kVA Single Phase
105	T/F 11/0.4 kV, 16 kVA Three Phase Al. wound
106	T/F 11/0.4 kV, 25 kVA Three Star Rating
107	T/F 11/0.4 kV, 63 kVA
108	T/F 11/0.4 kV, 100 kVA
109	T/F 11/0.4 kV, 250 kVA
110	T/F 11/0.4 kV, 400 kVA
111	T/F 11/0.4 kV, 630 kVA
112	T/F 33/11 kV, 5 MVA
113	T/F 33/11kV, 10 MVA
114	Transformer Oil Fresh
115	11 kV Cable Jointing Kit (3x70 sq. Mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
116	11 kV Cable Jointing Kit (3x120 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
117	11 kV Cable Jointing Kit (3x185 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through

S.No.	Items
1	*2*
118	11 kV Cable Jointing Kit (3x240 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
119	11 kV Cable Jointing Kit (3x300 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
120	33 kV Cable Jointing Kit (3x70 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
121	33 kV Cable Jointing Kit (3x120 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
122	33 kV Cable Jointing Kit (3x185 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
123	33 kV Cable Jointing Kit (3x240 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
124	33 kV Cable Jointing Kit (3x300 sq. mm) :-
	Indoor
	Outdoor
	Straight Through
125	HDPE Pipe 120mm
126	HDPE Pipe 140mm
127	GI Pipe 6" dia
128	Battery Charger 24 Volt
129	Battery Set 12 Nos. x 2 Volts, 200 Ah
130	11 kV Bus Coupler (1250 A)
131	33 kV Control Panel for Single Transformer
132	33 kV Control Panel for Double Transformer
133	33 kV Control Panel for Single Feeder
134	33 kV Control Panel for Double Feeder

Decentralised Material

S.No.	Items
1	*2*
1	Stone Pad 300x300x75 mm
2	LT Incoming Panel with metering equipment & fixing arrangement
3	Complete Earthing of PCC/ST Pole without labour
4	Cross Arm holding Clamps with bolts & nuts
5	Single phase Meter Box clamp
6	Three phase Meter Box clamp
7	Three phase Distribution Box clamp
8	Bracket Clamps for 3-phase meter box
9	Holding clamps for top channel TPMO & fuse set etc. with bolts & nuts
10	LT clamp with nuts & bolts of PCC Pole with neutral
11	Earth wire clamps with bolts & nuts
12	Al. PG clamps Weasel to Weasel
13	Al. PG clamps Rabbit to Rabbit
14	Al. PG clamps Dog to Dog
15	Al. PG clamps Panther to Panther
16	Clamps for LT T-off with bolts & nuts
17	Suspension Clamp
18	Dead-End Clamp
19	Eye-Hook
20	J-Hook
21	Copper L-Piece 50x225x10 mm
22	Copper L-Piece 62x225x12 mm
23	F-bracket for 11 kV line
24	F-bracket for 33 kV line
25	E Bracket with bolts & nuts
26	Spacer LT PVC
27	Aluminium binding wire (5 mm dia)
28	Aluminium binding wire (6 mm dia)
29	Aluminium binding wire 6 SWG
30	Barbed wire GI
31	Neutral cum earth wire Gi Wire 7.16 mm or 6 SWG
32	LT PVC Cable 3.5x70/35 sq mm
33	LT PVC Cable 3.5x150/70 sq mm
34	33 kV Post Insulator
35	LT Shackle insulator 100x115 mm
36	Bolts & Nuts for Shackle insulator
37	LT Shackle strip with bolt & nut for LT section pole
38	100 mm Dia, 1 Mtr. Long RCC half-round muff for Cables
39	Al. long leg Barrel, off-size
40	4-core LT MCB with Box
41	Loop guard complete 3-phase
42	Loop guard complete 1-phase
43	Aluminium jointing sleave for ACSR Weasel
44	Aluminium jointing sleave for ACSR Rabbit

S.No.	Items
1	*2*
45	Aluminium jointing sleave for ACSR Dog
46	Aluminium jointing sleave for AAAC Weasel
47	Aluminium jointing sleave for AAAC Rabbit
48	Aluminium jointing sleave for AAAC Dog
49	Danger Board with clamps
50	Number Plate with clamps
51	Armour rod with ferules
52	Aluminium Paint
53	Red oxide paint

एम0 देवराज,
आई.ए.एस,
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–01
☎ (का0) 0522-2287827

पत्र संख्या :1801/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांकः 23 जून, 2022

विषयः–परिवर्तकों की वर्तमान क्षतिग्रस्तता कम करने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर, स्वयं के स्तर से Preventive maintenance कराकर, परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर में कमी लाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पू0वि0वि0नि0लि0 वाराणसी।
म0वि0वि0नि0लि0 लखनऊ।
द0वि0वि0नि0लि0 आगरा।
प0वि0वि0नि0लि0 मेरठ।
केस्को कानपुर।

अति महत्वपूर्ण
What's app/e_mail द्वारा प्रेषित

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ के पत्र सं0 1122/रेस्पो/क्वालिटी सेल दि0 18.04.2022 एवं पत्र सं0 1127/रेस्पो/क्वालिटी सेल दि0 19.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों के द्वारा अनुरक्षण कार्यों में वांछित रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण परिवर्तक लगातार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अतः तत्काल एक कार्य योजना बनाकर अभियान चलाकर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

1. परिवर्तक स्थापना के समय परिवर्तक के LT Bushing, Radiator अथवा Tank से कोई Oil Leakage न हो। इसके लिये आवश्यकतानुसार मौके पर ही Nut-Bolt टाईट कराकर अथवा M-Seal के माध्यम से तेल रिसाव को रोका जाये अथवा कार्यशाला के माध्यम से परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से पूर्व ही Replace करवा दिया जाये।
2. परिवर्तक की Neutral एवं Body Earthing Proper हों, अर्थात Erathing Rod/Pipe तथा Neutral एवं Transformer's Body पर Earthing Wire/Plate उचित तरीके से Nut-Bolt एवं Washer के माध्यम से ही टाईट हो। इसके लिये Nut-Bolt एवं Washer आदि का इंतजाम क्षेत्रीय स्तर पर करके परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाये।
3. परिवर्तक की LT Rod पर उचित साईज की LT Bus, उचित साईज के Washer एवं Bolt द्वारा टाईट हो, जिस पर Crimping Lug के माध्यम से LT Cable जुड़ी होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक Crimping Lug, Crimping Plier, L-Peace for LT Bus & Washer आदि का इंतजाम क्षेत्रीय स्तर पर करके परिवर्तक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाये।
4. यह सुनिश्चित किया जाये कि परिवर्तक से जुड़ी LT Cable ज्यादा लम्बी नहीं होनी चाहिये एवं एक के ऊपर एक रखी हुई नहीं होनी चाहिये।
5. परिवर्तक की HT Rod पर 11KV Dropper Wire, Joint less एवं Fuse Set के माध्यम से जुड़ा होना चाहिये। जिसके लिये Scrap AB Cables की Leads का प्रयोग करना उचित होगा।

6. आवश्यकता हो तो, परिवर्तक की LT Circuits की उचित Load Balancing कराई जाये।
7. परिवर्तक के आस–पास अथवा परिवर्तक के नीचे किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा–करकट, ज्वलनशील वस्तू, पदार्थ अथवा पेड़–पौधे नहीं होने चाहिये।
8. सभी Lugs, Stainless Steel के Nut-Bolt & Washer के द्वारा ही टाईट किये जायें।
9. जहां Water Level गर्मियों में काफी नीचे चला जाता हो अथवा पथरीला क्षेत्र हो वहां पर Bore-Earthing के स्थान पर Chemical Earthing करायी जाये।

परिवर्तकों के उचित रखरखाव एवं क्षतिग्रस्तता से बचाने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर संलग्न Format पर कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाये। यदि कहीं किसी स्तर पर कोई शिथिलता परिलक्षित होती है तो तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता में हुई कमी का विश्लेषण कर, सप्ताहवार आख्या कार्पोरेशन को प्रेषित की जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम० देवराज)

अध्यक्ष

पंकज कुमार
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, **14**–अशोक मार्ग
लखनऊ –**226 001**
ई मेल–**mduppcl12@gmail.com**
दूरभाष : 0522–2288377

पत्र संख्या : 3160/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक: 03 नवम्बर, 2022

विषयः– परिवर्तकों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने एवं क्षतिग्रस्तता दर को कम करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक Preventive Maintenance कराये जाने हेतु Preventive Maintenance Schedule के सम्बन्ध में।

अतिमहत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण मण्डल,
पू०वि०वि०नि०लि०–वारणसी/म०वि०वि०नि०लि०–लखनऊ/
द०वि०वि०नि०लि०–आगरा/प०वि०वि०नि०लि०–मेरठ/
केस्को–कानपुर।

महोदय,

परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता कम करने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि परिवर्तकों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग किये जाने हेतु आवश्यक Preventive Maintenance जिसमें मूल रुप से 11KV Dropper, 11KV Fuse, Oil Leakage, LT Bus-Bar on LT Rod, LT Crimping Lug, Resistance less Joints in between Crimping Lug & LT Cable, Size of LT Cable, Load Capacity of LT Circuits, LT Fuse, Neutral Earthing, etc. आदि पर प्रमुखता से कार्य कराया जाना आवश्यक है। अतः क्षेत्र में स्थापित वितरण परिवर्तकों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये सम्बन्धित Transformer & LT Cable/ LT Line का Preventive Maintenance कराये जाने हेतु निम्नवत् Preventive Maintenance Schedule के अनुसार कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र०स	कार्य का विवरण	प्रक्रिया	अवधि	समय	नोडल अधिकारी
1.	शहर एवं कस्बे के क्षेत्र में सभी विभागीय विद्युत खम्बों को चिन्हित करना	यदि विभागीय विद्युत खम्बों पर नम्बरिंग नहीं है तो नम्बरिंग करा दी जाये।	एक सप्ताह	नोडल अधिकारी द्वारा नियत किया जायेगा।	मुख्य अभियन्ता (वितरण)
2	कार्यक्षेत्र में सर्वे कराकर, अनुरक्षण हेतु विद्युत खम्बों पर अंकित नम्बर के अनुसार विद्युत लाईन एवं परिवर्तकों को चिन्हित करना एवं उनकी विडिओग्राफी कराना	लाईन एवं परिवर्तकों को चिन्हित करना एवं उनकी विडिओग्राफी कराना	नम्बरिंग किये जाने के बाद एक सप्ताह		
3	उपरोक्त कार्य के लिये वित्त का प्रबन्ध M&R एवं R&R Head के अन्तर्गत किया जायेगा।				
4	उपरोक्तानुसार निम्नवत् आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध करना 1. Wire/Cable for 11KV Dropper. 2. LT Bus-Bar. 3. Al. PVC Cables. 4. AB Cable. 5. Accessories/fittings for AB Cable. 6. Distribution Boxes for AB Cable. 7. Nut-Bolt & Washer. 8. MS Earthing Rod. 9. Stay Rod. 10. Stay Wire.		सर्वे के अनुसार कार्य चिन्हित किये जाने के बाद एक सप्ताह		

	11. Al. Crimping Lugs of different size. 12. Crimping Plier. 13. PCC Pole. 14. 11KV V-type X-aem. 15. 11KV Pin Insulators. 16. 11KV Disc Insulators 17. Clamps for poles.				
5	उपरोक्त कार्य हेतु श्रम–शक्ति हेतु अनुरक्षण कार्य के लिये अनुबन्धित कार्यदायी संस्था के साथ–साथ सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र पर कार्यरत् संविदा कर्मियों में से कुछ कुशल संविदा कर्मियों का प्रयोग किया जाना चाहिये।	कर्मचारियों एवं कार्यदायी संस्था का प्रबन्ध कर लिया जाये।	अनुरक्षण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री एकत्र किये जाने के बाद एक सप्ताह		
6	समय पर कार्य सम्पन्न करने हेतु, अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही आवश्यक कार्य जैसे:– 1. आवश्यकतानुसार 11KV Dropper की Leads पर एक तरफ Crimping Plier के माध्यम से Al. Lug, Crimp करके रखना। 2. आवश्यकतानुसार LT Leads के लिये 100, 240, 400, 1000 sq. mm. आदि की Single Core Cables के एक सिरे पर पहले से ही Crimping Plier के माध्यम से उचित Crimping Lug लगाकर रखना।	सभी केबिल एवं तारों को आवश्यकतानुसार तैयार किया जाये।			
7	आवश्यकतानुसार शहरी एवं कस्बे के क्षेत्र टूटे हुये अथवा आत्याधिक लम्बे स्पैन में पहले से ही चिन्हित स्थानों पर खम्बा लगाने के लिये पोल पहुंचाकर रखना।	आवश्यकतानुसार यदि चिन्हित स्थानों पर खम्बा आवश्यक है तो पहले से ही ड्रिल द्वारा पोल लगवाने हेतु मशीन की व्यवस्था की जाये।			
8	विद्युत आपूर्ती को समय पर सामान्य करने एवं लक्षित कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से लाईन एवं परिवर्तक के कार्य समानान्तर रुप से कराये जायेंगे तथा लगातार 4–घण्टे से अधिक कार्य नहीं कराया जायेगा।				
9	एक ही स्थान पर 11KV एवं LT Line के अव्यवस्थित/ खतरनाक तरीके से लगे होने पर सुरक्षा की दृष्टि से अलग–अलग कर व्यवस्थित करना।				
10	विद्युत सुरक्षा हेतु Electricity Rule-1956 का पालन अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिये।				

उपरोक्त कार्यों के उचित सम्पादन हेतु उदाहरणार्थ निम्न प्रारुप पर कार्य एवं सामग्री का आकलन एवं प्रबन्ध किया जा सकता है:–

S.No.	Name of Work	Name of Sub Div. & Div.	Name of 33/11KV S/S	Place	Pole No./Transformer no./DP no.	Details of Required Material	Remarks
1	Replacement of Lug			Ram Nagar	Transformer No.... DP No.....		
2	Replacement of 11KV Dropper Wire				Transformer No.... DP No.....		
3	Replacement of LT Cable				Transformer No.... DP No.....		
4	Loose AB Cable				In between pole no 10-11		
5	Distribution Box Replacement				Pole no. 11, 18, 21, etc.		
6							

उपरोक्त कार्यों के उपरान्त, उपरोक्त लाईन एवं परिवर्तकों स्वस्थ रखने एवं उनकी पूरी क्षमता के अनुरुप प्रयोग करने हेतु निम्नवत् Preventive Maintenance Schedule के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिये। जिसमें Preventive Maintenance का कार्य प्रत्येक माह 1 तारीख से 7 तारीख के बीच, प्रतिदिन अधिकतम 4 घण्टे तक

किया जाना चाहिये। यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण/आवश्यक कार्य हो तो उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 4 घण्टे से भी अधिक समय तक अनुरक्षण का कार्य किया जा सकता है। अनुरक्षण कार्य हेतु एक समानान्तर कार्य योजना (जिसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक कार्य साथ–साथ कराये जा सकें) खण्डीय अभियन्ता द्वारा अपने उपखण्ड अधिकारी एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ मिलकर बनाई जायेगी, जिसका आवश्यकतानुसार प्रचार विद्युत बन्दी के उद्देश्य से किया जायेगा।

क्र0स	माह	कार्य का विवरण	अवधि
1	प्रति माह 1 तारीख से 7 तारीख के बीच	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का अनुरक्षण	प्रतिदिन अधिकतम 4 घण्टे इस योजना के साथ कार्य कराया जाये कि यदि 33 के0वी0 लाईन पर कार्य कराया जा रहा है तो समानान्तर रुप से 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पर भी अनुरक्षण कार्य करा लिया जाये। इसी क्रम में 11 के0वी0 लाईन, एल0टी0 लाईन एवं वितरण परिवर्तकों पर भी समानान्तर रुप से कार्य कराया जाना चाहिये। जिससे कि कम समय में अधिकतम कार्य हो जायेगा।
2		33/11 के0वी0 Power Transformer का अनुरक्षण	
3		33 एवं 11 के0वी0 VCB का अनुरक्षण कार्य	
4		33 के0वी0 लाईनों का अनुरक्षण	
5		11 के0वी0 लाईनों का अनुरक्षण	
6		सभी जम्परों एवं ढीली लाईनों को सही करना।	
7		एल0टी0 लाईनों का अनुरक्षण कार्य	
8		सभी जम्परों एवं ढीली लाईनों को सही करना।	
9		AB Cables के Joints को सही करना, ढीली AB Cables को सही करना।	
10		यदि किसी खम्बे पर अव्यवस्थित रुप से झुण्ड में उपभोक्ताओं की केबिल लगी हुई हों तो उन्हे व्यवस्थित तरीके से Distribution Box के माध्यम से लगाना। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त Distribution Box लगाना अथवा बदलना।	
11		वितरण परिवर्तकों का अनुरक्षण कार्य	
12		परिवर्तक को उर्जित करने के लिये आवश्यक 11KV Dropper wire, 11KV Fuse के माध्यम से परिवर्तक पर जोड़ा गया हो। परिवर्तक की 11KV Bushing पर 11KV Fuse न लगाया जाये।	
13		परिवर्तक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने हेतु परिवर्तक पर जुड़े LT Networks की क्षमता का आकलन कर, Load Balancing करना। आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अतिभारित LT Circuit की केबिल/तार क्षमतानुसार बदलना।	
14		परिवर्तक से LT Circuit को जोड़ने वाली केबिल की जांच करना, यदि आवश्यकता हो तो क्षमतानुसार बदलना।	
15		यह सुनिश्चित करना कि परिवर्तक से निकलने वाली केबिल के दोनों ओर के जोड़ (LT Circuit & LT Rod of Transformer) उचित तरीके से जुड़े हों तथा कमजोर जोड़ के कारण केबिल अथवा LT Rod गर्म न हो रही हो।	
16		Transformer की LT Rod पर केबिल जोड़ने के लिये उचित LT Bus-Bar उचित Nut-Bolt & Washer के साथ उपलब्ध हो तथा केबिल के सिरे पर उचित साईज का Crimping Lug, Crimping Plier के माध्यम से जुड़ा हो।	
17		परिवर्तक से कोई तेल का रिसाव हो तो उसकी मरम्मत कराना अथवा परिवर्तक बदलवाना।	
18		परिवर्तक में तेल की जांच कर आवश्यकतानुसार पूर्ण करना।	
19		परिवर्तक का Neutral एवं Body उचित तरीके से Earth किया गया हो।	
20		विद्युत सुरक्षा हेतु Electricity Rule-1956 का पालन अनिवार्य रुप से किया जाना चाहिये।	

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अध्यक्ष उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

एम० देवराज,
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–01
☎ : 0522- 2287827

सं0– 1984–डी0एस0एम0 / पावर कॉन्क्लेव / 2022 दिनांक 14 विक्रवार नवम्बर, 2022

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल, वि0वि0नि0लि0
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ
केस्को–कानपुर

विषयः– प्रदेश के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने तथा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रत्येक माह की निर्धारित तिथिवार कार्य योजना (पावर कैलेण्डर) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 10.08.2022 को एस0एल0डी0सी0 परिसर में आयोजित पावर कॉनक्लेव में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने एवं वितरण प्रणाली के मुख्य उपकरणों के लिये वार्षिक शिड्यूल के अनुसार प्रिवेन्टिव मेंटेनेन्स हेतु निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अ) 1. प्रत्येक माह की निर्धारित तिथिवार कार्य योजना (पावर कैलेण्डर)	
तिथि	**निर्धारित कार्य का विवरण**
प्रत्येक माह की 02 तारीख	उपकेन्द्र का सघन निरीक्षण, पावर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, ऑयल, सिलिका–जैल, एच0टी0 साइड केबिल ज्वाइंटिंग–किट की चेंकिग, समस्त वी0सी0बी0 / आ0सी0बी0 की चेकिंग, रीडिंग, प्रोटेक्शन चेकिंग, स्पेस हीटर एवं साउण्ड आदि की चेकिंग। ब्रेकडाउन रिपोर्ट, ऊर्जा खपत रजिस्टर बनवाना, रजिस्टर में इन्ट्री करना एवं चेकिंग फार्मेट भिजवाना।
प्रत्येक माह की 03 तारीख	समस्त 33 केवी लाइन एवं केबिल एक्सपोजर्स, 11 केवी लाइन एवं केबिल एक्सपोजर्स की चेकिंग एवं कमियों को नोट करना एवं तद्नुसार कार्यवाही कराना।
प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर (माह के प्रथम रविवार में)	समस्त 33 केवी लाइन एवं 11 केवी लाइन के सम्पर्क में आने वाले पेड़ों की डालियों का शट डाउन लेकर कटिंग कराना।
प्रत्येक माह की 4,5 एवं 6 तारीख (अवर अभियन्ता स्तर पर)	समस्त 1000 / 630 / 400 / 250 के0वी0ए0 परिवर्तकों के लोड चेक कराना, बैलेन्स करना, आयल लीकेज चेक कराना, ऑयल टॉप–अप कराना, अर्थिंग चेक कराना, डी0एल0एम0एस0 मीटर ठीक कराना, सिलिका–जैल / ब्रीदर चेक कराना, फेन्सिंग चेक करना, ठीक करना तथा झाड़–झंखाड की सफाई करना फोटो लेना तथा कम्प्यूटर में फीड करना।
प्रत्येक माह की 7,8 एवं 9 तारीख (उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता मीटर द्वारा)	परीक्षण खण्ड / मीटर से सहायक अभियन्ता के साथ उपकेन्द्र की टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग, 33 केवी फीडर ब्रेकर की टेस्टिंग एवं रजिस्टर में इन्ट्री करना एवं फाल्ट को ठीक कराना।

1. <u>प्रतिमाह कार्य जो किये जाने है</u> –

क्रम सं0	कार्यों का विवरण	मुख्य उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व
1.1	प्रतिमाह नियत तिथि • ट्री क्लियेरेन्स (पेड़ों की डाली की छटाई) • क्षतिग्रस्त इन्सुलेटर को बदलना। • पिन बाइडिंग को पुनः चेक कर टाइट करना। • समस्त केबिलों को अर्थिंग स्ट्रिप के कसाव को चेक करना एवं बदलना। • लूज जम्परों को टाइट करना/ पी0जी0 क्लैम्प के माध्यम से बदलना। • ढीले स्पैन /स्टे टाइट करना। • 33 केवी ब्रेकर/बस आइसोलेटर की ग्रीसिंग/ब्लेड तथा कॉन्टैक्ट ओवरहॉलिंग एवं अनुरक्षण की कार्यवाही करना।	लाइन–स्टाफ	अवर अभियन्ता
1.2	11 केवी लाइन एवं एल0टी0 लाइन • स्पेसर लगाना। • क्रमांक 1.1 की तरह समस्त कार्य।	लाइन–स्टाफ (प्रतिमाह)	अवर अभियन्ता
1.3	11 केवी स्विच–गियर • कॉन्टैक्ट चेकिंग। • बस–बार एवं नट–बोल्ट्स टाइट करना। • केबिल टर्मिनेशन किट को चेक करना।	उपकेन्द्र परिचालक (एसएसओ) (पन्द्रह दिनों) में चेकिंग की जायेगी।	अवर अभियन्ता
2.1	पावर ट्रान्सफार्मर का अनुरक्षण (33/11 या 33/6.6 क0वी0) • सिलिका–जैल। • ब्रेकर प्रतिमाह (यथा–ट्रिप–सर्किट एवं समस्त प्रोटेक्शन प्रणाली की कार्यशीलता की स्थिति। • बुकोल्ज सर्किट (प्रतिदिन)। • तेल लेबिल (प्रतिदिन)। • आयल टेस्टिंग–प्रतिवर्ष। • डीसी सप्लाई एवं बैटरी के पानी की स्थिति की जाँच (प्रतिदिन)।	एस0एस0ओ0 प्रतिमाह चेक करेंगे तथा रजिस्टरों में नोट करेंगे।	अवर अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी

2. <u>सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33 एवं 11 केवी लाइनों का निरीक्षण स्वयं करेंगे, जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का निरीक्षण किया जाएगा –</u>

(i) विद्युत तंत्र पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक विद्युत कर्मी के पास समस्त विद्युत सुरक्षा उपकरण यथा सेफ्टी बेल्ट, अर्थिंग चेन, हैण्ड–ग्लव्स, हेलमेट इत्यादि की उपलब्धता एवं मजबूती चेक कर, इनका उचित प्रयोग सुनिश्चित कराना।

(ii) लाइन में विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी सुनिश्चित कराना।

(iii) विद्युत लाइन हेतु प्रयुक्त कन्डक्टर की स्थिति (जर्जर तार होने पर तुरन्त प्रतिस्थापित किया जाना।)

(iv) विद्युत लाइन में खम्भे टेढ़े अथवा जंगयुक्त (केवल स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) हो तो उसे ठीक कराया जाये।

(v) रोड कॉसिंग पर विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रॉसिगि पर गार्डिंग की स्थिति मानक अनुरुप सही कराना।

(vi) भविष्य में रोड के अनुरक्षण पर भी लाइन कन्डक्टर की रोड से मानकानुसार सुरक्षित दूरी रहेगी अथवा नहीं, सुनिश्चित कराना।

(vii) लाइन क्रॉसिंग पर दोनों लाइनों के मध्य क्लियरेन्स, लाइन क्रॉसिंग पर गार्डिंग है कि नहीं सुनिश्चित कराना।

(viii) लाइन के समस्त एंगिल पोलों एवं डबल पोल पर स्थापित स्टे विधिवत चेक कराना/टाइट कराना।

(ix) सभी 33 केवी एवं 11 केवी पोषकों की ट्रिपिंग समुचित रूप से सुनिश्चित कराना।

(x) उच्च विभव की केबिलों के इन्सुलेशन रेजिस्टैन्स चेक करना – त्रैमासिक अनुरक्षण।

(xi) ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज एवं अंतिम छोर पर वोल्टेज चेक करना– त्रैमासिक अनुरक्षण ।

(xii) अर्थ रेजिस्टैन्स नापना एवं चेक करना– वार्षिक अरुक्षण।

(xiii) Protection Relay टेस्टिंग प्रत्येक 06 माह पर किया जाये जिसमें यह रिकार्ड किया जाये कि Relay आपरेट होने में मानक अनुरुप समय लग रहा है।

(xiv) ग्रेडिंग ऑफ टाइम सेटिंग की जाँच किया जाये कि नियमानुसार व मानक के अनुसार है या नहीं।

(xv) 33 के0वी0 ब्रेकर ओपनिंग टाइम की चेकिंग।

<u>उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत कर्मियों हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने सम्बन्धित निर्गत आदेशों का अनुपालन–</u>

1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 1468/पीसीएल/रेस्पो/द्वि0प्र0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों पर संचालन हेतु विशेष दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक–1)।
2. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 106/सीएमयूडी/विद्युत आपूर्ति/2019 दिनांक 10.01.2019 द्वारा निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने हेतु निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक–2)।
3. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्रांक 1667/रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल दिनांक 27.05.2019 द्वारा आदर्श बिजलीघर के मानक सम्बन्धित समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक–3)।

(ब) फील्ड में होने वाले विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत कर्मियों हेतु सुरक्षा सावधानी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने/नियंत्रित करने सम्बन्धित निर्गत आदेशों का अनुपालन।

1. उप्रपाकालि के पत्रांक 3738/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2018 दिनांक 22.09.2018 द्वारा विभागीय एवं बाह्य एजेन्सी द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों पर सुरक्षित काम करने के लिये विद्युत कर्मियों हेतु सुरक्षा सावधानियों सम्बन्धित निदेशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक–4)।
2. उप्रपाकालि के पत्रांक 1790/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2019 दिनांक 15.07.2019 द्वारा किसी भी प्रकार के घातक/अघातक दुर्घटना रोकने हेतु 33 के0वी0, 11 के0वी0 एचटी लाइनों एवं 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक–5)।
3. उप्रपाकालि के पत्रांक 67/पीपीएसडीडी/2019 दिनांक 18.07.2019 द्वारा विद्युत तंत्र से घातक/अघातक दुर्घटना घटने सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन किया जाये (संलग्नक–6)।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(एम० देवराज)
अध्यक्ष

पंकज कुमार
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, **14**–अशोक मार्ग
लखनऊ –**226 001**
ई मेल–**mduppcl12@gmail.com**
दूरभाष : 0522–2288377

पत्र संख्या : २५०८ रेस्पो / क्वालिटी सेल / 57–23 दिनांक: 15 जून, 2023

विषय– Power Transformer के Maintenance हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
म०वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।
द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
केस्को, कानपुर।

अतिमहत्वपूर्ण
ई–मेल / whatsapp द्वारा
प्रेषित

महोदय,

उपरोक्त विषयक 33/11KV S/S & Power Transformer के Maintenance हेतु निम्नवत् चित्रानुसार मानक संचालन प्रक्रिया **(SOP)** निर्धारित की जाती है:–

Single Line Diagram of 33/11KV S/S

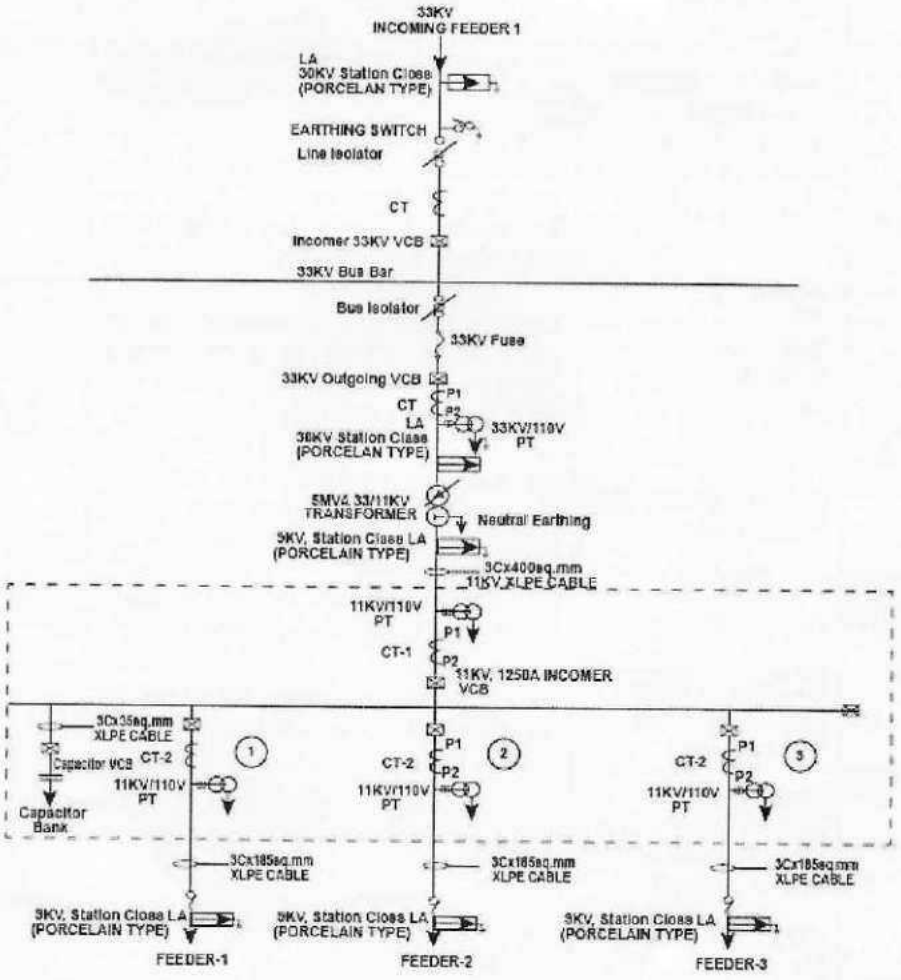

उपरोक्त चित्रानुसार प्रत्येक 33/11KV विद्युत उपकेन्द्र एवं उपकेन्द्र में स्थापित पॉवर परिवर्तकों के उचित रखरखाव हेतु प्रति वर्ष माह मार्च एवं नवम्बर में निम्नवत् निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा:–

1. **Name of Distribution Zone:**
2. **Name of Distribution Circle:**
3. **Name of 33/11KV S/S:**
4. **Capacity of 33/11KV S/S:**
5. **Date of Inspection:**
6. **Date of Last inspection:**

क्र.सं.	कार्य	वांछित कार्यवाही	कार्य की आवश्यकता (हां या नहीं)	कृत कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	Ensure that 33KV supply is in off position in 33/11KV S/S's switchyard.	33/11KV S/S & Power Transformer के Maintenance का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्र पर शट डाउन लेकर विद्युत आपूर्ति बन्द हो। Switchyard में प्रवेश करते ही सबसे पहले 33 KV Line Isolator एवं Control Room में स्थापित 11KV VCB's को बन्द (Switch off) किया जाना चाहिये।			
2	Sub Station Supply should be through independent S/S Transformer	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि Sub Station की विद्युत आपूर्ति, Sub Station के लिये स्थापित परिवर्तक से ही हो।			
3	General Condition of Control Room	साफ सफाई एवं टूट–फूट से सम्बन्धित जांच कर Control Room में आवश्यक सुधार एवं साफ–सफाई रखी जानी चाहिये।			
4	Fire Extinguisher	Control Room मे रखे Fire Extinguisher की जांच समय–समय पर अवश्य की जानी चाहिये। Fire Extinguisher की Expiry Date के अनुसार उसको समय पर Refill कराया जाना चाहिये।			
5	Sand in Cable Trench & Fire Buckets with Sands	Control Room में VCB के bottom तक Sand इस प्रकार से भरा होना चाहिये कि कोई चूहा आदि VCB के अन्दर घुसकर Fault न कर पाये। Fire Buckets में उचित मात्रा में Sand उपलब्ध होना चाहिये।			
6	General Condition of Switch Yard.	साफ सफाई एवं टूट–फूट से सम्बन्धित जांच करना। अर्थिंग चेक करना व सही करना। Switch Yard के अन्दर ज्वलनशील पदार्थ एवं घास आदि नहीं होनी चाहिये।			
7	Hot Spot on Joints	Switch Yard के अन्दर लाईन एवं उपकरणो पर किसी भी स्थिति में कोई भी Hot Spot नहीं होना चाहिये।			
8	Condition of 33KV main incoming line upto gantry.	अस्वस्थ अथवा ढीली, खराब इन्सूलेटर, टेढे–मेढ़े क्रास आर्म द्वारा बनी लाइन होने पर, उक्त लाइन को सही करना।			
9	Condition of 33KV Lightening Arrester on 33KV connected on main incoming line	33KV Lightening Arrester का न होना अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको लगाने अथवा बदलने की कार्यवाही करना।			
10	Earthing of LA & LA's Structure	LA & LA's Structure की Earthing उचित प्रकार से होनी चाहिये।			
11	Condition of 33KV Line Isolator.	33KV Line Isolator की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			

12	Condition of Jaws & Blade of Line Isolator.	33KV Line Isolator के Jaws & Blade की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
13	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on Jaws of Line Isolator.	33KV Line Isolator पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
14	Condition of 33KV Incomer VCB.	33KV Outdoor VCB की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
15	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Incomer VCB.	33KV Outdoor VCB पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
16	Condition of 33KV Fuse set. (If Provided)	33KV Fuse Set की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
17	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Fuse Set	33KV Fuse Set पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
18	Fuse Wire	33KV Fuse Set में उचित क्षमता के Fuse Wire लगे होने की जांच करना। यदि उचित क्षमता का Fuse Wire न लगो हो तो उचित क्षमता का ही Fuse Wire प्रयोग किया जाना चाहिये।			
19	Condition of 33KV Bus.	Switch Yard में स्थापित 33KV Bus स्वस्थ अवस्था में होनी चाहिए। यदि Bus Wire अथवा उस पर लगे PG Clamp में कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
	Power Transformer No.1				
21	Condition of 33KV Dropper wire for 33KV Bus Isolator.	Switch Yard में स्थापित 33KV Bus से 33KV Line/Bus Isolator जोड़ने के लिए प्रयुक्त 33KV Dropper wire अथवा उनके जोड में कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
22	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Bus.	Switch Yard में स्थापित 33KV Bus से 33KV Line/Bus Isolator जोड़ने के लिए प्रयुक्त 33KV Dropper wire अथवा उनके जोड में लगे PG Clamp में कोई कमी पायी जाती है तो उसको ठीक करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
23	Condition of Jaws & Blade of Bus Isolator No.1	33KV Bus Isolator के Jaws & Blade की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही करना।			
24	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on Jaws of Bus Isolator No.1	33KV Bus Isolator पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
25	Condition of 33KV Post Insulators for Power TF No.1	33KV Post Insulators की क्षतिग्रस्त होने की जांच करना, क्षतिग्रस्त होने पर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
26	Condition of 33KV Outdoor VCB for for Power TF No.1	33KV Outdoor VCB की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही करना।			

27	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Incomer VCB for Power TF No.1	33KV Outdoor VCB पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही करना।			
28	Condition of 33KV Fuse set for Power TF No.1 (If Available)	33KV Fuse Set की कार्यशीलता की जांच करना, कार्यशील न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको कार्यशील करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
29	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on 33KV Fuse Set for Power TF No.1	33KV Fuse Set पर तार जोड़ने के लिये लगे Al. Bolted Lugs की जांच करना, सही न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
30	Fuse Wire for Power TF No.1	33KV Fuse Set में उचित क्षमता के Fuse Wire लगे होने की जांच करना।			
31	Condition of 33KV Lightening Arrester before 33/11 KV Power TF No.1	33KV Lightening Arrester का न होना अथवा क्षतिग्रस्त होने की जांच कर उसको लगाने अथवा बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।			
32	Earthing of LA & LA's Structure	LA & LA's Structure की Earthing उचित प्रकार से होनी चाहिये।			
33	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on the HT Bushing rod of Power TF No.1	यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि Power Transformer की HT Bushing rod पर 33KV Line उचित Al. Bolted Lugs एवं Washer के माध्यम से जुडी हो।			
34	Condition of connections & Al. Bolted Lugs on the LT Bushing rod of Power TF No.1	यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि Power Transformer की LT Bushing rod पर 11KV Cable उचित Al. Bolted Lugs एवं Washer के माध्यम से जुडी हो।			
35	Condition of Neutral Earthing joint on LT Bushing rod of Power TF No.1	यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि Power Transformer के Neutral पर Eathing Strip उचित Al. Bolted Lugs एवं Washer के माध्यम से जुडी हो।			
36	Earth Resistivity of Neutral Earthing	Neutral Earthing की Earth Resistivity, 1.0 Ohm से कम होनी चाहिये।			
37	Condition of Neutral Earthing of Power TF No.1	Power Transformer की Neutral Earthing, Pipe अथवा Chemical Earthing के माध्यम से ही की जानी चाहिए। Pipe Earthing में समय समय पर पानी भरा जाना चाहिये। पानी डालते समय यह सावधानी रखी जानी चाहिये कि पानी डालते समय पॉवर परिवर्तक उर्जीकृत न हो।			
38	Oil Level in Conservator Tank of Power TF No.1	Conservator Tank में Oil Level 1/2 से कम नहीं होना चाहिए।			
39	Condition of Bucholtz Relay of Power TF No.1	Bucholtz Relay कार्यशील अवस्था में रखने हेतु उसमें तेल का होना अनिवार्य है। जिसके लिए Bucholtz Relay के दोनो ओर के Valve खुले होने चाहिए।			
40	Condition of Upper diaphragm of Explosion vent of Power TF No.1	Upper diaphragm of Explosion vent क्षतिग्रस्त नही होना चाहिए अर्थात सही होना चाहिये।			
41	Arching Horn of Power TF No.1	Power Transformer की HT & LT Bushing पर Arching Horn उचित Gap के साथ लगे होने चाहिए।			

42	Availability of oil in HT & LT Bushing of Transformer in Power TF No.1	Power Transformer की HT & LT Bushing Rod में ऊपर लगे Screw को खोलने पर तेल अवश्य ही निकलना चाहिये।			
43	Tap Changer of Power TF No.1	Tap Changer कार्यशील होना चाहिए। यदि On load Tap Changer नही है तो On load अर्थात उर्जित अवस्था में Tap Changer का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। Tap Change करने की कार्यवाही Logbook में दर्ज होनी चाहिये।			
44	Normal Tap Position of Power TF No.1	यदि विशेष आवश्यकता न हो तो Power Transformer का Tap Changer, Normal Tap Position में होना चाहिये।			
45	Current Tap Position of Power TF No.1	Current Tap Position की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।			
46	Leakage of oil from packing of Power TF No.1	Power Transformer की Oil Packing से तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए। तेल का रिसाव होने पर Gasket/Cork Sheet बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये। Transformer के Foundation पर गिरे हुये तेल को साफ कर दिया जाना चाहिये।			
47	Leakage of oil from Radiator of Power TF No.1	Power Transformer के Radiator से तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए।			
48	Oil valves of Radiators are open.	Power Transformer के Radiator के सभी valves खुले होने चाहिए।			
49	Earthing of Transformer's body.	Power Transformer की Body, Properly Earth एवं Neutral Earthing से पूर्णतः अलग होनी चाहिये।			
		Incoming No.1			
50	Incoming No.1 11KV VCB	Incoming-1 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
51	11KV PT-1 Installed on VCB.	Incoming-1 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV PT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
52	Condition of CT Connected on I/C VCB No.1	Incoming-1 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
53	Condition of connection of 11KV I/C cable made on 11KV terminals of CT.	Incoming-1 11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुडे होने चाहिए।			
54	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
55	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए। 11 के0वी0 पोषक श्रोत पर की गयी ट्रिपिंग टाईम सेटिंग के घटते क्रम में उपकेन्द्र पर स्थापित सभी इनकमर एवं आउटगोइंग पोषकों की ट्रिपिंग टाईम सेटिंग की जानी चाहिये।			
56	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			

57	Outgoing-1-(i) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(i) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
58	Condition of CT Connected on O/G VCB No.1	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
59	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुडी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुडे होने चाहिए।			
60	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
61	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
62	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था मे होनी चाहिए। जिससे कि Relay के माध्यम से VCB उचित Time Setting के अनुसार Trip हो जाये।			
63	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
64	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
65	Condition of CT Connected on O/G VCB No.2	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
66	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV O/G VCB-2 पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
67	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV O/G VCB-2 पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोडकर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
68	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
69	Protection Relays are connected and working	11KV O/G VCB-2 पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
70	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
71	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			

72	Condition of CT Connected on O/G VCB No.3	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
73	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुडी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुडे होने चाहिए।			
74	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
75	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
76	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
77	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
		Incoming No.2			
78	Incoming-2 11KV VCB/OCB.	Incoming-2 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
79	11KV PT-2 Installed on VCB.	Incoming-2 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV PT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
80	Condition of CT Connected on I/C VCB No.2	Incoming-2 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
81	Condition of connection of 11KV I/C cable made on 11KV terminals of CT.	Incoming-2 11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुडे होने चाहिए।			
82	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
83	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
84	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
85	Outgoing-1-(i) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(i) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
86	Condition of CT Connected on O/G VCB No.1	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			

87	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
88	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
89	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
90	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
91	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
92	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(ii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
93	Condition of CT Connected on O/G VCB No.2	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
94	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
95	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
96	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नही होने चाहिए।			
97	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
98	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र मे लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
99	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(iii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
100	Condition of CT Connected on O/G VCB No.3	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
101	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			

102	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
103	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
104	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
105	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
		Incoming No.3			
106	Incoming-3 11KV VCB/OCB.	Incoming-3 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
107	11KV PT-3 Installed on VCB.	Incoming-3 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV PT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
108	Condition of CT Connected on I/C VCB No.3	Incoming-3 11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
109	Condition of connection of 11KV I/C cable made on 11KV terminals of CT.	Incoming-3 11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
110	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
111	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
112	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
113	Outgoing-1-(i) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(i) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
114	Condition of CT Connected on O/G VCB No.1	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
115	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
116	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
117	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			

118	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
119	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
120	Outgoing-2-(ii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(ii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
121	Condition of CT Connected on O/G VCB No.2	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
122	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
123	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित Outgoing 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
124	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
125	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			
126	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
127	Outgoing-3-(iii) 11KV VCB/OCB.	Outgoing-1-(iii) 11KV VCB स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
128	Condition of CT Connected on O/G VCB No.3	11KV VCB के साथ स्थापित 11KV CT स्वस्थ एवं कार्यशील होनी चाहिए।			
129	Condition of connection of 11KV O/G cable made on 11KV terminals of CT.	11KV VCB पर स्थापित 11KV CT के 11KV terminals पर जुड़ी 11KV Cable, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जुड़े होने चाहिए।			
130	Condition of O/G feeder's 11KV cable up to the outdoor feeder's D/P	11KV Outgoing VCB पर स्थापित, उचित Indoor Cable Jointing Kit के माध्यम से, उचित Nut-Bolt & Washer द्वारा जोड़कर Feeder की D/P तक जानी चाहिये। VCB से Outgoing D/P तक जाने वाली 11KV Cable, Jointless एवं स्वस्थ होनी चाहिये।			
131	11KV Joints in VCB	कोई भी 11KV Joints खुले हुए अर्थात बिना उचित Insulation के नहीं होने चाहिए।			
132	Protection Relays are connected and working	11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, उचित Setting के साथ स्वस्थ एवं कार्यशील अवस्था में होनी चाहिए।			

133	Tripping of VCB is healthy.	क्षेत्र में लाइन अथवा परिवर्तक पर कोई विद्युत दोष उत्पन्न होने पर 11KV VCB पर विद्युत दोष से सुरक्षा हेतु स्थापित Protection Relays, द्वारा Tripping Command देने पर 11KV VCB तत्काल Trip होनी चाहिए।			
134	Control Panel for 33KV VCB & Transformer.	Control Panel स्वस्थ एवं कार्यशील होना चाहिए।			
135	Condition of Battery & Battery Charger.	Battery & Battery Charger स्वस्थ एवं कार्यशील होना चाहिए।			
136	Outdoor 33KV VCB is connected with the Control Panel installed in Control Room.	Switchyard में स्थापित Outdoor 33KV VCB, Control Room में स्थापित Control Panel से अवश्य ही जुड़ी एवं कार्यशील होनी चाहिये।			
137	Oil Temp Meter is connected with the Control Panel installed in Control Room.	Power Transformer पर स्थापित Oil Temp Meter, Control Room में स्थापित Control Panel से अवश्य ही जुड़ी एवं कार्यशील होना चाहिये।			
138	Winding Temp. Meter is connected with the Control Panel installed in Control Room.	Power Transformer पर स्थापित Winding Temp Meter, Control Room में स्थापित Control Panel से अवश्य ही जुड़ी एवं कार्यशील होना चाहिये।			
139	Testing of Power Transformer	Power Transformer की गाण्टी अवधि समाप्त होने के बाद वर्ष में एक बार तेल की BDV एवं Magnetising Current Test अवश्य ही कर लेना चाहिये।			
140	Magnetising Current Test	Magnetising Current तानों Phase पर एक समान रुप से Zero Miliampere के आस पास होनी चाहिये। Magnetising Current मापन के लिये उचित मीटर का ही प्रयोग किया जाना चाहिये।			
141	BDV of Transformer Oil at 2 levels (Top & Bottom of the transformer)	Power Transformer के Top एवं Bottom Side के तेल की अलग-अलग Sample लेकर BDV की जानी चाहिये।			
142	Silica Gel	Power Transformer के Silica Gel Breather में Silica Gel नीले रंग का तथा Oil Cup में पर्याप्त स्तर तक तेल भरा होना चाहिए।			
143	Fire Wall	अग्नि से सुरक्षा हेतु आस-पास स्थापित 2 पावर परिवर्तकों के मध्य Fire wall अनिवार्य रुप से बनी होनी चाहिए।			
144	Control Panel for 33 KV VCB & Transformer.	Control Panel पर सभी Indication, Annunciation & Flags स्वस्थ एवं कार्यशील होने चाहिए।			

उपरोक्तानुसार विद्युत उपकेन्द्र का निरीक्षण करने के उपरान्त कार्य की आवश्यकता का आकलन कर, तद्नुसार तत्काल अथवा निर्धारित समय सीमा के अन्दर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की देखरेख में कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी समीक्षा क्षेत्र के अधीक्षण एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

संख्या 21 /रेस्पो/क्वालिटी सेल

दिनांक : 04-01-2024

विषय : पॉवर परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारण।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यॉंचल–लखनऊ
दक्षिणॉंचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रूपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, परीक्षण उपकरण, प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह–अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए है परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह–फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।
3. चूंकि पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर है, अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–
   i. पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण, सी0टी0, पी0टी0, ब्रेकर एवं रिले की क्रियाशीलता तथा पावर परिवर्तकों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य माह फरवरी' 2024 तक करा लिये जाये। जहाँ पर पावर परिवर्तक की डिलिवरी फरवरी' 2024 के बाद सम्भावित है, वहाँ पर समस्त शेष कार्य पहले से पूर्ण कर लिये जाए।
   ii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित पावर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य पावर परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
   iii. विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, पावर परिवर्तक का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
   iv. उपकेन्द्र पर प्रोटेक्शन हेतु लगे Relays का Synchronization इस प्रकार किया जाए कि ट्रिपिंग की आवृत्ति (Frequency) तथा समय न्यूनतम हो साथ ही इसका विद्युत तंत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
   v. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) समस्त उपकेन्द्रों के प्रोटेक्शन सिस्टम की जाँच करते हुए इनको क्रियाशील अवस्था में रखना तथा न्यूनतम ट्रिपिंग हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

फोन : 0522 - 2287801, 4048612 | ई मेल : chairmanuppcl@gmail.com

vi. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा भी शत–प्रतिशत उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

vii. अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा भी 20–20 पृथक उपकेन्द्रों का चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया जाए।

4. डिस्काम अपने स्तर से भी पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (वि0/परि0) को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

5. पावर परिवर्तक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विद्युत अवस्थापना है जिस पर एक बड़ी धनराशि का निवेश शासन द्वारा किया जाता है। विगत में देखा गया है कि अधिकांश पावर परिवर्तक समुचित अनुरक्षण एवं प्रोटेक्शन सिस्टम के सही से कार्यरत न होने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। यदि समुचित अनुरक्षण किया जाये तथा प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये तो पावर परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ–साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करायें।

6. चूंकि वर्ष 2023 में क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध वृहद दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही एवं अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी वितरण क्षेत्र में अधिक संख्या में पावर परिवर्तक क्षतिग्रस्त होते हैं तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्नक– निरीक्षण चेक लिस्ट।

4/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यॉंचल–लखनऊ/दक्षिणॉंचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
6. निदेशक (ईटीआई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस निर्देश के साथ कि उपकेन्द्रों के अनुरक्षण, विशेष रूप से पावर परिवर्तक के अनुरक्षण से सम्बन्धित बुकलेट बनाकर तत्काल समस्त को प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।

डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

संख्या 30 /रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक : 05/01/, 2024

विषय : वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने व उत्तरदायित्व निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी / मध्यांचल–लखनऊ
दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

1. जैसा कि आप अवगत है कि विगत वर्ष माह अक्टूबर' 2023 में सभी प्रकार के अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसी उद्देश्य से माह अक्टूबर' 2023 को अनुरक्षण माह के रूप में मनाया गया था। उक्त के साथ ही "अतिरिक्त बिजनेस प्लान", "प्रति जनपद 20 करोड़ रूपये" एवं "नगर निगम" से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि तथा इनके प्रोटेक्शन उपकरण आदि का अनुमोदन कारपोरेशन स्तर से प्रदान किया जा चुका है।
2. माह–अक्टूबर' 2023 के "अनुरक्षण माह" के अभियान में अनेक कार्य करा लिए गए है परन्तु अभी भी कतिपय स्थानों पर अनुरक्षण कार्य कराया जाना शेष है। अतः कारपोरेशन स्तर पर माह–फरवरी' 2024 को पुनः "अनुरक्षण माह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किये जा रहे है।
3. चूंकि वितरण परिवर्तक क्षेत्र में गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–
   i. अवर अभियन्ता (वितरण) द्वारा पोषकवार 100 केवीए तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों का चेक लिस्ट (संलग्न) के अनुसार निरीक्षण, माह जनवरी' 2024 में किया जाए तथा अनुरक्षण हेतु कार्य चिन्हित कर लिये जाए तथा साथ ही साथ अनुरक्षण की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाये।
   ii. अवर अभियन्ता (वितरण) / उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों में निर्धारित मात्रा में तेल होने एवं लोड बैलेंसिंग की जॉच करते हुए अर्थिंग एवं एच0टी0 / एल0टी0 प्रोटेक्शन सिस्टम की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए।
   iii. डिस्काम के अन्तर्गत अधिभारित वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु फिर भी यदि अन्य 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तक आगामी ग्रीष्म ऋतु में अतिभारित होने की आशंका है तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्यो का तत्काल अनुमोदन करा लें एवं मौके पर कार्य कराया जाये। इसका कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल से भी तत्काल ले लिया जाए।
   iv. 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों के लिए अतिभारिता की प्राथमिकता के अनुसार, वितरण परिवर्तकों का डिलिवरी शिड्यूल तैयार कर दिया जाये तथा सभी को अवगत करा दिया जाये, जिससे समस्त तैयारी समय से पूर्व हो जाए।
   v. 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के सभी वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण तथा प्रोटेक्शन का कार्य माह–फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिए जाए।
4. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) तथा उनके अधीनस्थ सहायक अभियन्ता (मीटर) एवं अवर अभियन्ता (मीटर) रैण्डम आधार पर समस्त 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परितर्वकों पर एच0टी0 / एल0टी0 प्रोटेक्शन सिस्टम की क्रियाशीलता की जॉच करते हुए अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को अवगत करायेगें। अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) इस कार्य की स्वयं समीक्षा करेंगे।

फोन : 0522 - 2287801, 4048612 । ई मेल : chairmanuppcl@gmail.com

5. उपखण्ड अधिकारी से मुख्य अभियन्ता (वितरण) तक, 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों के निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये जाए तथा इन अधिकारियों द्वारा माह जनवरी' 2024 व फरवरी' 2024 में इन वितरण परिवर्तको का पर्याप्त संख्या में निरीक्षण सुनिश्चत किया जाये। उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के निरीक्षण के लक्ष्य मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्धारित किये जाये तथा मुख्य अभियन्ता (वितरण) के लक्ष्य प्रबन्ध निदेशक निर्धारित करेंगे।

6. **100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक डिस्कॉम द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवर अभियन्ता द्वारा शतप्रतिशत तथा उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निरीक्षण किया जाये।**

7. विगत में पाया गया है कि अधिकांश वितरण परिवर्तक अतिभारिता एवं ससमय अनुरक्षण न कराये जाने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। अतिभारिता को समाप्त करने हेतु समय–समय पर परिवर्तकों के भार का मापन एवं लोड बैलेंसिंग की कार्यवाही की जाये तथा परिवर्तक पर भार 60 से 70 प्रतिशत होते ही क्षमतावृद्धि की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। इसके अतिरिक्त एल0टी0 लाइन के कारण क्षतिग्रस्तता रोकने हेतु प्रोटेक्शन सिस्टम को क्रियाशील रखा जाये। ससमय इन कार्यो को पूर्ण करने से वितरण परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। इस हेतु यह आवश्यक है कि अनुरक्षण के साथ–साथ उपकेन्द्र के कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण भी दिया जाये। यह उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा कि वह उपकेन्द्र पर तैनात समस्त कार्मिकों को इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करायें।

8. चूंकि वर्ष 2023 में वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि, प्रोटेक्शन सिस्टम एवं अनुरक्षण आदि के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, अतः यह आवश्यक है कि यह समस्त गतिविधियां समय से पूर्ण कर ली जाये। ऐसे में अब यदि 100 के0वी0ए0 तथा इससे अधिक क्षमता का वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त होता है तो निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

वितरण परिवर्तक की क्षमता	मुख्य उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	प्रशासनिक उत्तरदायित्व
100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता
400 के0वी0ए0 से 1000 के0वी0ए0	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

चूंकि समस्त संसाधन पूर्व में ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त समय है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि अनुरक्षण/प्रोटेक्शन कार्य समय पर न हो सके। अतः वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने पर उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक :– चेक लिस्ट।

5/1/24

(डा० आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यॉंचल–लखनऊ/दक्षिणॉंचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण/परीक्षण), पूर्वांचल–वाराणसी/ मध्यॉंचल–लखनऊ/ दक्षिणॉंचल–आगरा/ पश्चिमांचल–मेरठ/ केस्को–कानपुर।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1300–कार्य/चौदह– पाकालि/2024–03–के/2000 दिनांक 10 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन की सहयोगी वितरण निगमों में वितरण खण्डों/उपखण्डों/मण्डलों व जोन स्तर पर तैनात अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित भण्डार क्रय/कार्य समितियों को सामग्री क्रय एवं कार्य के निष्पादन हेतु एतद्द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नानुसार किया जाता है:–

समस्त क्रय/कार्यों को निम्न तीन भागों में विभक्त किया जाता है:–

A. पूंजीगत कार्य

B. डिपॉज़िट कार्य

C. अन्य मद के क्रय/कार्य

1. **पूंजीगत कार्य:–**

(i) ऐसे कार्य जिनमें बिजनेस प्लान, अतिरिक्त बिजनेस प्लान एवं अन्य कार्य हेतु धनराशि बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त होती है तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त निश्चित परियोजनाओं हेतु धनराशि वितरण निगमों को उपलब्ध कराई जाती है। विद्युत वितरण निगम के निदेशक मण्डल के सम्मुख, प्रत्येक कार्य का औचित्य एवं प्राक्कलन, निदेशक तकनीकी एवं प्रबन्ध निदेशक की संस्तुतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। **निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन माना जाएगा** तथा प्रबन्ध निदेशक उक्त के क्रम में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(ii) पूंजीगत कार्यों हेतु बजट प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति (Technical Sanction) के निम्न अधिकार प्रदान किये जाते हैं:–

क्रम सं0	अधिकृत अधिकारी	अधिकार की सीमा (प्रत्येक कार्य सामग्री तथा अन्य component शामिल करते हुए)
1	अधिशाषी अभियन्ता, वितरण	10 लाख तक
2	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण	10 लाख से 25 लाख तक
3	मुख्य अभियन्ता, वितरण	25 लाख से अधिक

(iii) किसी भी स्थिति में निदेशक मण्डल से प्राप्त अनुमोदन से पृथक कार्य बिना प्रबन्ध निदेशक की अनुमति से नहीं कराए जाएंगे। आकस्मिकता की स्थिति में अथवा परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रबन्ध निदेशक इस हेतु अधिकृत होंगे कि पूंजीगत कार्य हेतु अनुमोदन प्रदान कर सकें (ऐसे समस्त कार्यों हेतु स्वीकृत बजट के 5% की सीमा अथवा रु. दस करोड़ प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की सीमा के अधीन)। यह अधिकार इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस प्रकार के कार्यों का कार्योत्तर अनुमोदन निदेशक मण्डल की अगली बैठक में अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

(iv) पूंजीगत मद के समस्त कार्यों का टेण्डर अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर होगा जिसका अनुमोदन सक्षम कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा। यह उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा कि अनुमोदित कार्यों हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाए।

(v) अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत कार्य कराने हेतु कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समितियां सक्षम होंगी एवं यदि अनुमोदित बजट की सीमा तक कार्य किया जा रहा है तो पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर प्रेषित नहीं किया जाएगा।

(vi) यदि निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किसी कार्य के scope में सूक्ष्म परिवर्तन (minor change) की आवश्यकता होती है तो उक्त के अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता होंगे। उक्त प्रदत्त अनुमोदन को संकलित कर मासिक रूप से प्रबन्ध निदेशक का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा एवं उक्त की सूचना प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक में रखी जायेगी।

(vii) वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर अनुमोदन अधिकतम 03 दिवसों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(viii) कार्यों को वित्तीय सीमा में लाने हेतु विभाजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसा पाया जाता है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। बल्कि यह प्रयास होना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता व economy of scale लाने के लिए छोटे–छोटे कार्यों को समेकित कर बड़े आकार का पैकेज बनाया जाये।

(ix) पूंजीगत मद में कराए जाने वाले कार्यों का निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त होते ही कार्यों का खण्डवार कार्यवार विवरण बनाकर खण्ड की वित्तीय सीमा निर्धारित करते हुए समस्त को सूचित किया जाएगा एवं प्रत्येक प्रोजेक्ट को ERP पर upload किया जाएगा।

2. **<u>डिपॉज़िट कार्य</u>:–**

(i) डिपॉज़िट कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्य की प्राक्कलन स्वीकृति के निम्न अधिकार प्रदान किये जाते हैं (निम्न सीमाएं यदि कार्य विभाग द्वारा अथवा सुपरविजन चार्ज के आधार पर कराया जा रहा हो, दोनों पर प्रभावी होंगी):–

क्रम सं0	अधिकृत अधिकारी	अधिकार की सीमा (प्रत्येक कार्य हेतु सामग्री तथा अन्य component शामिल करते हुए)
1	अधिशाषी अभियन्ता, वितरण	10 करोड़ तक
2	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण	10 करोड़ से 25 करोड़ तक
3	मुख्य अभियन्ता, वितरण	25 करोड़ से अधिक

(ii) डिपॉज़िट कार्यों में प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से सम्भव होने की स्वीकृति (Technical Feasibility Approval) अपने स्तर से एक उच्च स्तर के अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही यथावश्यकता पारेषण से भी feasibility आख्या प्राप्त की जायेगी।

(iii) प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति का स्तर प्राक्कलन स्वीकृति के लिए अधिकृत स्तर से एक स्तर ऊपर का होगा। सक्षम स्तर के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 03 दिन में अनिवार्यतः निर्णय लेना होगा। वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर अनुमोदन अधिकतम 03 दिवसों के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(iv) डिपॉज़िट मद के समस्त कार्यों का टेण्डर अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर होगा, जिसका अनुमोदन सक्षम कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा। यह उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा कि अनुमोदित कार्यों हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जाए।

3. **अन्य मद के क्रय/कार्य :–**

(i) अन्य मद में क्रय/कार्य (यथा Admin/O&M, M&R, T&P, Stationery, Vehicle, Uniform, Contingency आदि) करने हेतु अधिकार (उपरोक्त प्रस्तर 1 व 2 में उल्लिखित पूंजीगत एवं डिपॉजिट कार्यों के अतिरिक्त) निम्नवत् होंगे:–

क्र०सं०	अधिकृत अधिकारी का पद	अधिकार की सीमा व क्रय प्रक्रिया
1	2	3
(क)	उपखण्ड अधिकारी, वितरण	• प्रत्येक प्रकरण में रू0 2,500 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रू 10,000 होगी। • रु0 2,500 से रु 50,000 तक के क्रय/कार्य कोटेशन के माध्यम से। • समस्त प्रकार के क्रय/कार्य करने की माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 50 हजार होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। • सीधे क्रय/कार्य करने के अतिरिक्त समस्त क्रय/कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
(ख)	अधिशासी अभियन्ता, वितरण	• प्रत्येक प्रकरण में रू0 5,000 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रू 50 हजार होगी। • रु 5,000 से रु 02 लाख तक के क्रय/कार्य कोटेशन के माध्यम से। • समस्त प्रकार से क्रय/कार्य करने की माह की समेकित अधिकतम सीमा रु 05 लाख होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। • सीधे क्रय/कार्य करने के अतिरिक्त समस्त क्रय/कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
(ग)	अधीक्षण अभियन्ता, वितरण	• प्रत्येक प्रकरण में रू0 5000 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रू 50,000 होगी। • रू0 5,000 से रू0 10 लाख तक के क्रय/कार्य खुली निविदा द्वारा क्रय/कार्य समिति के अनुमोदन से। • समस्त प्रकार से क्रय/कार्य करने की माह की समेकित अधिकतम सीमा रू0 25 लाख होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। • सीधे क्रय/कार्य करने के अतिरिक्त समस्त क्रय/कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी।
(घ)	मुख्य अभियन्ता, वितरण	• प्रत्येक प्रकरण में रू0 5000 तक सीधे क्रय/कार्य किया जा सकता है एवं ऐसे सीधे क्रय/कार्यों के प्रकरण हेतु माह की समेकित अधिकतम सीमा रू 50,000 होगी।

		• रू0 10 लाख से अधिक के क्रय/कार्य खुली निविदा द्वारा क्रय/कार्य समिति के अनुमोदन से। • रू0 10 लाख से रू0 50 लाख तक के क्रय/कार्य हेतु निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य) (जिससे भी सम्बन्धित हो) से प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी। यह सीमा बजट की सीमा के अधीन होगी। • 50 लाख से अधिक मूल्य की निविदा का अनुमोदन डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त किया जाएगा। • समस्त कार्य बजट की सीमा के अधीन कराये जायेंगे।

(ii) **मुख्य अभियन्ता, वितरण एवं अधीक्षण अभियन्ता, वितरण बजट के नियन्त्रण हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में बिना प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के प्राविधानित बजट से अधिक का व्यय न किया जाये। प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त होते ही निदेशक (वित्त) यह सुनिश्चित करेंगे कि बजट में आवश्यक संशोधन ई.आर.पी. पर कर दिया जाये।**

(iii) बजट नियन्त्रण हेतु ई.आर.पी. का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ निम्न विवरण अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाएगा:–

(क) वित्तीय वर्ष में क्रय की जा चुकी सामग्री/कार्य की धनराशि

(ख) वित्तीय वर्ष में pipeline (अर्थात् जिनका LoI/work order दिया जा चुका है या स्वीकृति प्रक्रिया में है या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है या प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में है) में सामग्री/कार्य हेतु आवश्यक धनराशि

(ग) प्रस्तावित क्रय की धनराशि

(घ) बजट प्राविधान एवं अवशेष सीमा।

(iv) **उपभोक्ता की सुविधा से सम्बन्धित ऐसी सामग्री जिसे आकस्मिकता में क्रय किया जाना आवश्यक हो, जैसे उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करने हेतु आर्मर्ड केबिल, मीटर बॉक्स, CT/PT/Metering Cubicle इत्यादि, उसके ई.आर.पी./स्टोर में उक्त की उपलब्धता न होने पर क्रय करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता को 05 लाख प्रति माह के क्रय हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त क्रय बजट की सीमा के अधीन होगा, अन्यथा प्रबन्ध निदेशक से बजट का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।** उक्त क्रय सीमा उपरोक्त प्रस्तर 3(i) के अतिरिक्त होगी। इस हेतु आवश्यक रूप से अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करना होगा एवं ई. आर.पी. के माध्यम से स्टोर में उक्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, यह भी प्रमाणित करना होगा। साथ ही क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता तथा मूल्य पूर्व में उक्त हेतु क्रय की गई सामग्री के मूल्य के समतुल्य (Justifiable) अथवा बेहतर होना चाहिए।

(v) **(क)** प्रस्तर 3(i) में सन्दर्भित कोटेशन की समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल पर की जायेगी। उक्त हेतु निम्न व्यवस्था है:–

"Seller having lowest price amongst the available sellers, of at least three different manufacturers, on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period."

(ख) जेम पर सामग्री/सेवा की अनुपलब्धता अथवा वांछित विशिष्टियों/गुणवत्ता की सामग्री की अनुपलब्धता पर ही अन्य माध्यम का प्रयोग किया जाएगा।

(ग) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते समय इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि क्रय किस विधि से किया जा रहा है। यदि जेम से क्रय नहीं किया जा रहा है तो उसका स्पष्ट कारण अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(घ) सीधे किये जा रहे क्रय का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सीधे क्रय में किसी भी प्रकार की malpractices न हों, जैसे बड़े टेण्डर को विभक्त कर वित्तीय सीमा में लाना, आवर्ती व्यय (recurring expenditure) सम्बन्धी मामलों में प्रत्येक बार सीधे क्रय किया जाना, जबकि ऐसे मामलों में टेण्डर के माध्यम से क्रय किया जाना चाहिए।

(vi) खुली निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से सामग्री/सेवा का क्रय जेम-पोर्टल से तथा जेम-पोर्टल पर सामग्री/सेवा की अनुपलब्धता अथवा वांछित विशिष्टियों/गुणवत्ता की सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा।

(vii) उपरिलिखित (प्रस्तर 3(i) में प्रतिनिधानित) अधिकार निम्न पर लागू नहीं होंगे:-

(i) वाहन क्रय करने हेतु।

(ii) किराये पर भवन आबद्ध करने हेतु।

(iii) कम्प्यूटर उपकरणों यथा लैपटाप, डेस्कटाप, प्रिण्टर, साफ्टवेयर, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि के क्रय हेतु।

(iv) एयर कण्डीशनर, फ्रिज, हीटर, फर्नीचर तथा इसी प्रकार के विद्युत उपकरणों के क्रय हेतु।

(viii) लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोटोकॉपी मशीन, प्रिण्टर, साफ्टवेयर इत्यादि उपकरणों के क्रय हेतु उल्लिखित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है। मुख्य अभियन्ता का दायित्व होगा कि प्रस्तुत प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्ण औचित्य से संतुष्ट होते हुए सामग्री हेतु अनुमति प्रदान की जाये एवं साथ ही पूर्व में प्रयोग हो रही सामग्री के विधिवत् निस्तारण हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। साफ्टवेयर के क्रय में विशेष सावधानी बरती जाये जिससे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त portal/app से compatibility issues न आयें तथा यथासंभव Open Source साफ्टवेयर प्रयोग किया जाये (Cyber Security का पूर्ण ध्यान रखते हुए)।

(ix) अनुमोदित वाहनों की संख्या के सापेक्ष किराये पर वाहन रखने हेतु अधीक्षण अभियन्ता को अधिकृत किया जाता है। किसी भी अतिरिक्त वाहन को अनुबन्धित करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(x) ऐसे समस्त कार्य जो कि नियमित/आवर्ती (Recurring) प्रकार के हैं, जैसे कि किराये पर वाहन की उपलब्धता, जनशक्ति सेवा, केटरिंग इत्यादि इन हेतु वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक अवधि हेतु प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आबद्धीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर लेनी चाहिए, जिससे कि ऐसे प्रयोजनों हेतु आकस्मिक रूप से क्रय की आवश्यकता न पड़े।

(xi) यथा आवश्यकता प्रशासकीय व्यय को ऑप्टिमाइज़ (optimize) करने हेतु यदि किसी भी स्तर पर कम्पोज़िट टेण्डर (Composite Tender) निकाला जा रहा है (एक से अधिक डिवीजन अथवा सर्किल को सम्मिलित कर) तो इस हेतु उक्त कार्य के लिए आवंटित बजट को संकलित कर लिया जाना अनुमन्य होगा, परन्तु किसी भी स्थिति में बजट की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। स्वीकृति देते समय इसका स्पष्ट उल्लेख होगा कि कुल धनराशि का विभाजन (apportionment) किन किन खण्डों के बजट पर किया जा रहा है।

4. **<u>भण्डार क्रय/कार्य समिति के वित्तीय अधिकार निम्नवत् होंगे:-</u>**

I. <u>कार्य एवं दायित्व:-</u>

(i) निविदा प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा के द्वितीय भाग (फाइनेंशियल बिड) को खोलने के उपरान्त निविदा आख्या एवं संस्तुति सक्षम क्रय/कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) भण्डार क्रय/कार्य समिति कार्यों का औचित्य, प्राक्कलन तथा दरों का परीक्षण कर निर्णय लेगी।

II. वित्तीय अधिकार–

(i) वितरण निगम की कॉरपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति:

पूर्व में गठित समिति के सदस्य तथा उसके अधिकार		संशोधित प्रतिनिधायन	
1. प्रबन्ध निदेशक	–अध्यक्ष	1. प्रबन्ध निदेशक	–अध्यक्ष
2. निदेशक (तकनीकी)	–सदस्य	2. निदेशक (तकनीकी)	–सदस्य
3. निदेशक (वित्त)	–सदस्य	3. निदेशक (वित्त)	–सदस्य
4. मुख्य अभियन्ता (सामग्री क्रय/कार्य का प्रकरण जिससे सम्बन्धित हो)	–सदस्य	4. निदेशक (वाणिज्य)	–सदस्य
		5. निदेशक (का0 एवं प्रब0)	–सदस्य
		6. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता	–सदस्य
वित्तीय अधिकार :		**वित्तीय अधिकार :**	
रूपये 01 करोड़ से 25 करोड़ तक।		**रूपये 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक।**	

(क) कोरम:– समिति का कोरम चार सदस्यों का होगा, जिसमें प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) का बैठक में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(ख) निदेशक (वित्त) के तैनात न होने पर विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात वित्त विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे। यह व्यवस्था निदेशक (वित्त) के अवकाश पर रहने पर प्रभावी नहीं होगी एवं यदि निदेशक (वित्त) के द्वारा कोई दीर्घ अवधि अवकाश लिया जाता है तो भण्डार क्रय/कार्य समिति में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर से अधिकारी नामित किया जाएगा।

(ग) निदेशक (तकनीकी) के तैनात न होने पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्यालय पर तैनात वरिष्ठतम मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) सदस्य के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(ii) मुख्य अभियन्ता, वितरण भण्डार क्रय/कार्य समिति :–

पूर्व में गठित समिति के सदस्य तथा उसके अधिकार		संशोधित प्रतिनिधायन	
1. मुख्य अभियन्ता	–अध्यक्ष	1. मुख्य अभियन्ता–	–अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता	–सदस्य	2. मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता (यदि यह अधिकारी एवं क्रमांक 3 पर अंकित अधिकारी एक ही व्यक्ति है, तो मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत अगला वरिष्ठतम अधिकारी)	–सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी	–सदस्य	3. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	–सदस्य
		4. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित उपमुख्य लेखाधिकारी/ वरिष्ठ लेखाधिकारी	–सदस्य
वित्तीय अधिकार :		**वित्तीय अधिकार :**	
• **सामग्री क्रय के सम्बन्ध में 15 लाख।**		**रू0 10 लाख से रू0 2.5 करोड़ तक।**	
• **कार्य के सम्बन्ध में 01 करोड़ तक।**			

(iii) **अधीक्षण अभियन्ता, वितरण भण्डार क्रय/कार्य समिति:**

पूर्व में गठित समिति के सदस्य तथा उसके अधिकार	संशोधित प्रतिनिधायन
1. अधीक्षण अभियन्ता –अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता –सदस्य 3. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी –सदस्य **वित्तीय अधिकार : रू0 02 लाख तक।**	1. अधीक्षण अभियन्ता –अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियन्ता के अधीन कार्यरत वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता (यदि यह अधिकारी एवं क्रमांक 3 पर अंकित अधिकारी एक ही व्यक्ति है, तो मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्यरत अगला वरिष्ठतम अधिकारी) –सदस्य 3. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता –सदस्य 4. मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी –सदस्य **वित्तीय अधिकार : रू0 10 लाख तक।**

III. समितियों के गठन में जहां लेखा स्कन्ध के कार्मिकों का प्रविधान किया गया है वहां उस स्तर के अधिकारी आवश्यकतानुसार उपयुक्त संख्या में नामांकन हेतु उपलब्ध न होने की दशा में उनके स्थान पर निम्न स्तर का कार्मिक (न्यूनतम स्तर सहायक लेखाधिकारी) प्रबन्ध निदेशक के स्तर से नामित किया जाएगा।

IV. ऐसे समस्त उपकरण जिनका क्रय किसी एक विद्युत वितरण निगम के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के लिए किया जाएगा, ऐसे प्रकरणों हेतु टेण्डर पर निर्णय हेतु सक्षम समिति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की कारपोरेट क्रय/कार्य समिति होगी। (इस पर उपरोक्त वित्तीय सीमाएं लागू नहीं होगी अर्थात् यदि टेण्डर की धनराशि रु. 25 करोड़ से कम है तो भी प्रकरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की कारपोरेट क्रय/कार्य समिति में प्रस्तुत किया जाएगा)

5. **<u>उपरोक्त प्रदत्त समस्त प्रकार के वित्तीय अधिकार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किए जाते हैं:-</u>**

(i) समस्त कार्य स्वीकृत बजट प्राविधानों की सीमा के अन्तर्गत ही कराये जायेंगे। प्रबन्ध निदेशक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही खण्डवार कितनी धनराशि O&M (Admin), M&R, प्रशासनिक कार्यों इत्यादि में क्रय/कार्यों हेतु औसतन उपलब्ध हो सकेगी, इसकी सीमा प्रत्येक खण्ड को सूचित करा देंगे।

(ii) पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता (वितरण) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी स्थिति में किसी भी खण्ड में आवंटित बजट की सीमा से अधिक व्यय बिना प्रबन्ध निदेशक की अनुमति के न किया जाए। यदि किसी भी आकस्मिकता के कारण, बजट की सीमा से अधिक व्यय करना आवश्यक है तो इस हेतु प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

(iii) समस्त कार्य (डिपॉज़िट वर्क/पूंजीगत/अन्य कार्य) को ई.आर.पी. के माध्यम से ही कराया जाएगा। यदि कोई कार्य ई.आर.पी. के बाहर कराया जाता है तो इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ई.आर.पी. के बाहर कराये गये कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। **प्रबन्ध निदेशक आकस्मिक परिस्थितियों स्वरूप ई.आर.पी. के बाहर कार्य करने हेतु अपवाद रूप से अनुमोदन प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे परन्तु अनुमोदन में स्पष्ट रूप से**

औचित्य अंकित करना होगा तथा ऐसे कार्यों हेतु भुगतान, उक्त कार्य का अंकन ई.आर.पी. में कराते हुए, ई.आर.पी. के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) उक्त सभी वित्तीय अधिकारों की राशि समस्त करों को सम्मिलित करते हुए मानी जायेगी।

6. उपर्युक्त समस्त अधिकार वितरण खण्डों/उपखण्डों/मण्डलों व जोन स्तर पर तैनात अभियन्ताओं एवं सम्बन्धित भण्डार क्रय/कार्य समितियों को प्रदान किये गये हैं तथा भण्डार/कार्य-शाला/कार्य-निर्माण /परीक्षण/जानपद (वितरण) इकाईयों में तैनात अभियन्ताओं के अधिकार पूर्व की भाँति यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

संख्या–1300 (i)/कार्य/चौदह/पाकालि/2024–3–के/2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मंध्याचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा /मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/सी.पी./आई.टी.), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), पूर्वांचल/मंध्याचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, वितरण पूर्वांचल/मंध्याचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पूर्वांचल/मंध्याचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, पूर्वांचल/मंध्याचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता,वेब, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सदानन्द)
संयुक्त सचिव
(ज0श0प्रशि0 एवं कार्य)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वितरण)
उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0
चतुर्थ तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
कार्यालय दूरभाष : 0522–2218414, फैक्स : 0522–2218417
ई–मेल : cmuduppcl@gmail.com
(CIN N0. : U32201UP1999SGC024928)

पत्रांक: 719(A)/मु0अ0/सी0एम0यू0(डी0)/ई0–1/विद्युत आपूर्ति दिनांक: 27 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा व्यवधान रहित बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के उदेश्य से 11 के0वी0 एवं 33 के0वी0 पोषकों के शटडाउन के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

1. 33 के0वी0 के समस्त फीडर्स तथा 11 के0वी0 स्वतंत्र एवं औद्योगिक फीडर्स के शटडाउन अधिशासी अभियन्ता (वितरण) की अनुमति से दिया जायेगा। शेष 11 के0वी0 के फीडर्स का शटडाउन उपखण्ड अधिकारी (वितरण) की अनुमति से दिया जायेगा।
2. आग लगने, विद्युत दुर्घटना तथा अन्य समकक्ष विषम तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में आपूर्ति यथावश्यकता अविलम्ब बन्द की जायेगी। सम्बन्धित अवर अभियंता द्वारा ऐसे आपातकालीन शटडाउन की सूचना अधिशासी अभियन्ता (वितरण) तथा उपखण्ड अधिकारी (वितरण) को दी जायेगी।
3. सभी औद्योगिक फीडर्स का निर्धारित शटडाउन यथा संभव क्षेत्र की औद्योगिक बन्दी के दिन अथवा सम्बन्धित औद्योगिक संगठन की सहमति वाले दिन ही लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः अपने नियंत्रणाधीन वितरण के सभी अधिकारियों तथा अवर अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)
निदेशक (वितरण)

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/ लखनऊ/ आगरा/मेरठ/ केस्को–कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)।

(प्रद्युम्न त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता (सी0एम0यू0(डी0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14– अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्याः 301 /नो0 स्मा0मी0 प्रो0/पाकालि/23 दिनांकः 10 अगस्त जुलाई 2023

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं
केस्को–कानपुर।

विषय :– पुराने नॉन स्मार्ट मीटरों को उतारे जाने, नये स्मार्ट मीटरों को लगाने तथा उतारे गये नॉन स्मार्ट मीटरों के हस्तांतरण एवं भण्डारण के लिए समस्त डिस्कॉम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि RDSS योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के दौरान पुराने नॉन स्मार्ट मीटरों को उतारे जाने, नये स्मार्ट मीटरों को लगाने तथा उतारे गये नॉन स्मार्ट मीटरों के हस्तांतरण एवं भण्डारण के लिए समस्त डिस्कॉम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्धारित की गयी है–

Before Commencement of Meter Dismantling:

1. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा Consumer Indexing के उपरान्त meter installation की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।
2. Consumer indexing CI APP एवं स्मार्ट मीटर स्थापना उपरान्त MI APP द्वारा advising की जायेगी।
3. मौजूदा ऊर्जा मीटर (छेड़छाड़/सील टूटा/मीटर जला/डिस्प्ले दोषपूर्ण/शारीरिक क्षति आदि) की स्थिति की पहचान की जाएगी और इसकी सूचना डिस्कॉम को दी जाएगी और डिस्कॉम के नोडल/नामित/सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लिया जाएगा।
4. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य के दौरान उपभोक्ता के परिसर पर मीटर के न पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता को अवगत कराया जायेगा तथा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/ अवर अभियन्ता द्वारा उक्त प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा।
5. चयनित ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा स्मार्ट मीटर की स्थापना के दौरान पुराने मीटरों की फोटोग्राफी और विडियोग्राफी की जायेगी, जिससे कि मीटरों की रिडिंग व स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके।

Dismantling Process

1. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा सिलिंग बुक के अतिरिक्त मीटर उतारे जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एप/ऑनलाईन पोर्टल द्वारा पूर्ण की जायेगी तथा उतारे गये मीटरों की ब्रांट–इन प्रक्रिया के दौरान ब्रांट–इन डाटा को ऑनलाईन एप/ऑनलाईन पोर्टल में संकलित करने की सुविधा होनी चाहिए।
2. ए०एम०आई०एस०पी० पुराने मीटर बॉक्स को यथासंभव नुकसान पहुंचाए बिना पुराने मीटर को **Dismantle** करना सुनिश्चित करेगी।
3. यदि किसी परिस्थिति में पुराने मीटर को उतारते समय मीटर बाक्स क्षतिग्रस्त हो जाये तो इस परिस्थिति में भी TP,TP Screw, TP seal, Body seal, को intact रखा जाना होगा।
4. **Sealing Certificate**:–ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा स्मार्ट मीटर की स्थापना के साथ–साथ Sealing Certificate भरकर, अपने रिमार्क्स दर्शाकर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) को प्रेषित किया जायेगा और उसके आधार पर अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) अपने सहायक अभियन्ता (मीटर)/अवर अभियन्ता (मीटर) के माध्यम से एडवाइसिंग पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेगें।
5. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य के दौरान उपभोक्ता के परिसर पर मीटर के सन्दिग्ध पाये जाने की स्थिति में फर्म द्वारा सहायक अभियन्ता (मीटर) को अवगत कराया जायेगा एवं सन्दिग्ध मीटर को डिस्कॉम के कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में प्लास्टिक बैग मे नियमानुसार सील कर सहायक अभियन्ता (मीटर) के कार्यालय में सन्दिग्ध मीटर के परीक्षण हेतु प्रेषित किया

जायेगा। सहायक अभिय़न्ता (मीटर) द्वारा ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा जमा किये गये सन्दिग्ध मीटरों की ब्राट–इन अधिकतम 02 कार्यदिवस के अन्दर नियमानुसार की जायेगी।

6. सन्दिग्ध मीटर की ब्राट–इन के पश्चात टेम्पर पाये गये मीटर पर सहायक अभियन्ता (मीटर) द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापना के कार्य के दौरान आने वाली सभी प्रकार की विसंगतियों को प्रतिदिन एक्सेप्शन लिस्ट के माध्यम से सहायक अभियन्ता (मीटर)/अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) को उपलब्ध करायी जायेगी। जिस पर अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) द्वारा अधिकतम 03 दिनों के अन्दर निराकरण कराया जायेगा।
8. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा हटाए गए विद्युत मीटर पर उपभोक्ता क्रमांक, मीटर क्रमांक, बदले गए नए स्मार्ट मीटर की जानकारी, बदलने की तारीख, अंकित किया जाएगा।
9. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नए स्मार्ट मीटर व उतारे जाने वाले मीटर पर same serial no के स्टिकर (प्रारूप संलग्नक–1 पर प्रस्तुत) लगाये जायेंगें ताकि किसी भी प्रकार की अनयमितता न हो पाये।
10. ए०एम०आई०एस०पी० हटाए गए विद्युत मीटर की पैकेजिंग एवं सीलिंग सुनिश्चित करेगी।
11. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा प्रथम दृष्टया क्षतिग्रस्त तथा पुनः उपयोग लायक मीटरों को अलग–अलग बाक्स में रखा जायेगा।
12. प्रत्येक बाक्स पर बाक्स नम्बर, मीटरों की संख्या, मीटरों के सीरियल नम्बर, उतारे जाने की तिथि, एम0आई0 एजेंसी का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
13. ए०एम०आई०एस०पी० उतारे गये मीटरों का डिस्कॉम कार्यालय/अस्थायी/परिभाषित भंडारण/गोदाम स्थान पर प्रेषण सुनिश्चित करेगी।

Handover of Dismantled Meters to Discom

1. Packaging of old Meter:- ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा पुराने मीटरों की फोटोग्राफी और विडियोग्राफी की जाये एवं फोटोग्राफ को Web Portal पर संरक्षित किया जाये जिससे मीटर की रिडिंग व स्थिति को सुनिश्चित करके पुराने मीटरों को बॉक्स में सुरक्षित पैकिंग, उपभोक्ता का नाम, नम्बर, जी०पी०एस० को–ओर्डिनेट दर्शाते हुए Sealing Certificate के साथ अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) के दिशा निर्देश में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. ए०एम०आई०एस०पी० WHM Module (Warehouse Management Module) का उपयोग करके गोदाम में पुराने मीटर इन्वेंट्री विवरण को अपडेट करना सुनिश्चित करेगी।
3. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा Dismantled मीटर पर एजेंसी का नाम, फील्ड एजेंट का नाम, उपभोक्ता आईडी/नंबर, नया मीटर नंबर, नया मीटर रीडिंग, चरण और प्रतिस्थापन तिथि अंकित की जाएगी। लेबल का प्रारूप "संलग्नक–1" पर संलग्न है।
4. ए०एम०आई०एस०पी० द्वारा Dismantled मीटर को सभी उपलब्ध सहायक उपकरणों और लागू सहायक दस्तावेजों और विवरणों के साथ 7 दिनों के भीतर डिस्कॉम को सौंप दिया जाएगा।
5. ए०एम०आई०एस०पी० संबंधित परीक्षण खण्ड को मीटर वापस करते समय डिस्कॉम को मीटर रिप्लेसमेंट नोट (एमआरएन) प्रदान करेगी। एमआरएन में शामिल किए जाने वाले विवरण "संलग्नक–2" के रूप में संलग्न हैं।
6. परिवहन के दौरान किसी भी क्षति से बचने के लिए उतारे गये मीटर को समुचित ढंग से पैक किया जाएगा।
7. Dismantled मीटर को daily dismantling report या meter replacement report के साथ पूर्व–निर्दिष्ट/सहमत/गोदाम स्थान/डिस्कॉम कार्यालय पर भेजा जाएगा। ("संलग्नक–3" के अनुसार)।
8. ए०एम०आई०एस०पी० को 100% मीटरों की रीडिंग सत्यापित करनी होगी और संबंधित परीक्षण खण्ड के अधिकारियों द्वारा इन्हें Cross verify किया जायेगा।
9. ए०एम०आई०एस०पी० पुराने मीटर हैंडओवर रिकॉर्ड की विस्तृत सूची बनाए रखेगी।
10. उतारे गये मीटरों को बॉक्स में सुरक्षित पैकिंग (1–Phase, 3–Phase, IDF, CDF को अलग–अलग रंग के बॉक्स में तथा 05 मीटरों को 1 बॉक्स में), उपभोक्ता का नाम, अकाउन्ट नम्बर, जी०पी०एस० को–ऑर्डिनेट दर्शाते हुए Sealing Certificate के साथ अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) कार्यालय में जमा किये जायेगें।
11. अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) द्वारा सहायक अभियन्ता (मीटर)/अवर अभियन्ता (मीटर) के माध्यम से सम्बन्धित परीक्षणशाला में जमा कराये गये उतारे हुए मीटरों/ए०एम०आई०एस०पी० के स्टोर में उतारे हुए मीटरों की ब्राट–इन की जायेगी एवं ब्राट–इन के दौरान नियमानुसार सही पाये गये मीटरों का मीटर रियूज सर्टिफिकेट निर्गत किया जायेगा एवं शेष मीटरों को स्क्रैप मीटर घोषित कर दिया जायेगा।

12. ब्राट–इन प्रक्रिया के दौरान सही पाये गये मीटरों के मीटर रियूज सर्टिफिकेट जारी होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार Reusable Meters को दूसरे परीक्षण खण्डो को ई०आर०पी० में इडेन्ट के माध्यम से हस्तानान्तरित किया जायेगा एवं शेष मीटरों (बचे हुए Reusable Meters, Scrap Meters) को अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) के दिशा–निर्देश में भण्डार खण्ड को हस्तानान्तरित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

1/2/27

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

Annexure- 1: Format for Sticker to be pasted after dismantling on old meter

Particulars	Details
Agency Name	
Field Agent Name	
Consumer account number	
New meter number	
New meter Reading	
New meter phase	
Meter Dismantling Date	

Annexure- 2: Sample format for return of Old Meter to Discom

Discom	
Division	
Sub-Division	
Submission Date	

Sl. No.	Box No.	Replaced Date	Sealing Cert. Book No.	Sealing Cert. Page No.	Consumer Account No.	Old Meter Serial No	Old Meter Make	Old Meter Kwh	Old Meter Kw	New Meter Serial No	Condition of meter
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Annexure- 3: Details to be covered in MRN Note

List of parameters to be covered in the MRN Note	
Consumer Number	
Consumer Name	
Consumer Address	
DTR Name	
Feeder Name	
Latitude of consumer premises	
Longitude of Consumer Premises	
Old Meter makes and serial number	
Old meter final reading (in kwh)	
Load Security Amount (in Rs., if available)	
Balance of old meter in case of prepaid meter replacement (in Rs')	
New Meter Make and Serial Number	
Initial Reading of new meter (kWh)	
Pole Number (if available)	
Phase of connection (single or three Phase	
Consumer Category	
Date and time of replacement	
Meter seal details	
Name of personnel and contractor engaged for the replacement of the meter	

4. Consumer Indexing

Consumer indexing will be carried out/verified for the incoming population of smart meters for end-to-end metering at contiguous electrical locations in the selected AMI Project Area only. The responsibility for consumer indexing for dispersed metering at non-contiguous electrical locations in the selected AMI Project Area shall lie with the Utility. For this a door-to-door survey shall be required for each meter installed and tallying it with the consumer related records (physical, electrical and commercial) available with the Utility. In establishing the linkage of the consumer meter to the electric network, the asset (including the meter) codification as used by the utility GIS (or as per standards set by the utility) shall be strictly followed. If the GIS asset database is available, the verified consumer data shall be uploaded into the GIS database by the Utility for a single point of truth, presentation and secondary evaluation. If GIS is not available, then the AMISP is required to create a standalone consumer indexing database. This database of electrical indexing shall have the following broad parameters:

- Energy Meter name plate details
- Meter clustering if any
- Sealing Status
- Installation Date
- Start Reading (New Meter) and Last Reading (Old Meter)
- Geo Location
- Customer Name
- Username
- Postal Address / Telephone / Email
- Sanctioned Load
- Pole/DT/Feeder Code

Either of the following checks may be done to establish the correctness of the indexing database. The selection of these methods or any other equivalent method shall be at the sole discretion of the AMISP vendor.

1. Correlation of DT wise energy loss with load flow studies; or
2. Selective demand trip of DT to identify meters under outage

4.1 Scope of Work for CI

a. Obtaining details of existing consumer indexing available with the utility as a starting reference point.
b. Capturing of all the mandatory attributes mentioned in the CI format.
c. Updation of consumer details within the geographical boundary covered by the utility as part of the scope. The details of new/shifted consumers shall be provided by the Utility.
d. Consumer indexing for added/shifted consumers based on the ledger/field survey with physical verification of the existing consumer database. Modification/correction of consumers based on electrical system with the help of Utility.
e. Capturing of complete attributes of the consumers; viz, consumer code present in utility legacy system, consumer name, address, mobile number, asset id of source of power supply, service type(poles, feeder/pillar box, OH/UG), meter make, meter location, meter serial number etc.
f. Capturing of GPS co-ordinates (Latitude/Longitude) of consumer premises through the Mobile Application (developed by Implementing Agency) which must have facility of capturing Latitude/Longitude. During the CI, Field Team must click on the location and Mobile App must automatically take the Latitude/Longitude of the consumer premises.

g. Carrying out QA/QC on the collected consumer data.
h. Submission of data of the consumers in computerized file to the Utility. The file shall have the facility to edit, update and create data. Further, (2) hard copies of the deliverables, for approvals/comments by the concerned officer(s), shall also be submitted by the implementation agency.
i. Getting the CI data verified/validated by the concerned Officers/Authorities. The implementation agency is expected to obtain approval from Competent Authority. The implementation agency shall obtain the acceptance/take over certificate by the concerned Officers/Authorities.
j. Surveyor/Field Team shall walk along with the line and identify the consumers to whom supply is released from each pole / service pillar and identify the Distribution Transformer from where each Consumer is fed.
k. For the purpose of data validation and quality check, the sample size would be 10% of the total consumers under the assignment. The error toleration level shall be 5% of the sample size.
l. In case of comments by the concerned Officers/Authorities, the same would be incorporated and resubmitted by the SI. It will be the responsibility of the SI to ensure that Consumer data collected does not become stale during the course of the execution of the project.

After meter installation, details of consumer connections, such as consumer identification no., meter ID, its hardware & software configuration, name plate details, make, type i.e. 1 Phase or 3 Phase shall be automatically updated in the AMI system. The information would also be updated on the consumer portal and app for providing information to consumers.

4.2 **Consumer Indexing & Meter Installation APP:** Consumer Indexing & Meter Installation should be carried out through a robust CI/MI Application for better tracking and record of field activities.

Consumer Indexing (CI): Site Survey of electrical device and conduct door to door survey to obtain consumer details by consumer indexing (CI), we can find Division/sub division wise location of the consumer through which feeder, or transformer, or circuit number and or pole consumer is being supplied. Mobile App should have functionality of capturing the asset condition, Meter Condition , Meter Height , Meter Location (Inside/outside) , Cable Type (un-armoured /armoured) , Consumer Connection Status (Active /IDF /TD /PD), Others (Consumer Denial /Door Locked) and other required information through automated tool or manual screens, most important Longitude & Latitude (auto-populated) of location using Google map.

Meter Installation (MI): Smart meter installation on the premises as per order received from organization. Meter installation is the process where Implementing Agency needs to install smart meter physically on the consumer premises based on the order finalized. There may be different scenarios i.e. New Service connection, old meter change, smart meter to smart meter change, Net meter, IDF, Load Enhancement etc. The provision to capture the details against each case as mentioned above to

(c) In case the meter is found burnt and there is reason to believe that an official of the Licensee gave a direct connection, pending replacement of meter, a case of direct theft shall not be booked. Consumer's complaint for replacement of burnt meter or the complaint regarding disruption in supply of energy shall be considered sufficient for this purpose.

(d) In all cases of replacement of a meter, where cost is to be borne by the consumer, he shall have the option to procure the meter and associated equipment himself in accordance with clause 5.2 and 5.4.

5.10 Lost Meters

(i) Complaints regarding lost meters shall be entertained by the Licensee only if they are accompanied by a copy of the FIR lodged by the consumer with the police station. In all such cases, an officer authorized by the Licensee shall also conduct an inquiry.

(ii) Supply in these cases shall be restored after installation of a new meter, and after payment of, electricity charges for the period in which meter was not available, and any other prescribed charges that may be approved by the Commission.

(iii) The electricity charges for the period in which meter was not available shall be assessed as below:

(a) As per Section 138 of the Electricity Act 2003, if it is established in the Licensee's enquiry that the loss of meter was due to a deliberate act of the consumer and / or with his connivance.

(b) As per clause 5.7(d) to 5.7(f) of this Code, in other cases.

In all cases of loss of meter, cost of new meter and other apparatus shall be borne by the consumer.

Chapter 8

Tampering, Distress or Damage to Electrical Plant, Meters etc.

8.0 [3(1)] *[The Ministry of Power, Govt. of India vide order no. S.O.796 (E) dated 8th June'2005 with title " the Electricity (Removal of Difficulties)" has directed State Commission for inclusion of measures to control theft in Electricity Supply Code as per details given below:*

(1) The Electricity supply code as specified by the State Commission under section 50 of the Act shall also include following, namely: -

(i) method of assessment of the electricity charges payable in case of theft of electricity pending adjudication by the appropriate court;

(ii) disconnection of supply of electricity and removing the meter, electric line, electric plant and other apparatus in case of theft or unauthorized use of electricity: and

(iii) measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter.

(2) The above provisions in Electricity Supply Code shall be without prejudice to other rights of the licensee under the Act or any other applicable law to recover sum due and to protect the assets and interests of the licensee.

(3) The Ministry of Power, GOI clarification letter dated 26.10.2005 has also specified that the compounding fees shall go to the credit of the state Government, and the licensee may receive the assessed amount).

(4) *The revised clause no 6.8 and clause no. 8.1 & 8.2 provide a procedure to facilitate uniformity in approach adopted by the assessing/authorized officers of different licensees in dealing with inspection and assessment and in cases related to unauthorized use and theft of electricity. It is also provided that nothing contained in the procedure laid in clause 8.1 & 8.2 shall have effect in so far as it is inconsistent with provisions of chapter under " Offences and Penalties" of the Act. The procedure for Inspection, Provisional Assessment Hearing and Final assessment as well as taking cognizance in case of theft of electricity shall apply concurrently, and shall be binding on the assessing/authorized officers, and shall be certified so to that extent.*

(5) *To protect the interest of consumer as well as the Licensee, It is considered expedient that the Managing Director of the discom shall constitute a committee to oversee that the procedures as provided in clause 6.8, 8.1 & 8.2 of the Code have been correctly followed.*

(6) *It is also provided that in the matter related to theft, the consumer at his option, can approach M.D. of the discom for restoration of supply, on interim payment of the assessed amount, calculated at 1.0 times of existing tariff, less payment already made by the consumer for the period of assessment subject to final decision by Special Courts. The reconnection in such case shall be not later than seven days after the consumer has made payment.]*

8.1. [3(1)] ***[Procedure to be adopted by licensee for Inspection, Provisional Assessment Hearing and Final assessment in case of theft of electricity under section 135 of the Act.***

i. *An Officer authorized under section 135 of the Act, suo-moto or on receipt of reliable information regarding theft of electricity, shall promptly conduct, inspection of such premises exercising due diligence. (Annexure-7.3 (ii)).*
ii. *The Authorized Officer may, if required, handover his business card to the consumer. Photo ID card may be carried by each team member and shown to the consumer, if required, before entering the premises.*

iii. *The access to consumer premises shall be in accordance to clause 4.30 to 4.34 of this Code. The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall also apply, as far as may be, to searches and seizure under this Code.*

iv. *The occupant of the place of search or any person on his behalf shall remain present during the inspection. A list of all things seized in the course of such search shall be prepared and delivered to such occupant or person present on his behalf who shall sign the list.*

v. *In all cases of inspection, a report shall be prepared at site giving details of connected load, condition and details of old seals, working of meter, details of new seals and clearly mention any irregularity noticed which may lead to theft of electricity in the format given in Annexure 6.4. The Authorized Officer shall carry seals for this purpose. Any damage/ destruction to the electric meter, metering equipments, apparatus, line, cable or electrical plant of the licensee caused or allowed to be caused by the person so as to interfere with the proper or accurate metering of electricity or for theft of electricity shall also be duly recorded in the report. The Authorized officer may also prepare a diagram illustrating the arrangements found to have been made for theft of electricity, wherever feasible and such diagram shall form a part of inspection report. The report shall be certified by the authorized officer that the procedure of Supply Code as laid herein had been followed.*

vi. *The report shall clearly indicate whether prima facie a case for theft can be inferred. The report shall be signed by each member of the inspection team and handed over to the consumer or his / her representative at site immediately under proper receipt. In case of refusal by the consumer or his/her representative to either accept or give a receipt, a copy of inspection report shall be pasted at a conspicuous place in/outside the premises and may be photographed. Simultaneously, the report shall be sent to the consumer under Registered Post / Speed post on the day or the next day of the inspection.*

vii. *In case of prima facie evidence of theft by tampering of meter or metering equipment in case of LT consumers, the meter shall be removed, properly sealed and tested in accordance with procedure laid down in clause 5.6. The supply shall be restored through a new meter or metering equipment of appropriate rating. In case of HT connection, the supply may be disconnected if there is a prima facie evidence of theft as recorded by photographs / MRI reports for TVM meters, or where removal of evidence by consumer is apprehended. The report shall be prepared at site as per sub clause (iii) above.*

viii. *In cases where the theft of electricity is detected by by-passing the meter or metering equipment and the electrical load, fully or partially, of the person's connection is found connected directly with the lines, cables or electrical plant, electric supply to such premises shall be disconnected forthwith on the spot by the licensee and shall be restored only after the cause of theft is removed to the satisfaction of licensee and the person pays the charges raised as per assessment bill, with due opportunity to him for making representation etc. as per the procedure prescribed for the same in the Code.*

ix. *In cases of direct theft by tapping the licensee's lines, cables or electrical plant, electric supply to such premises or place shall be disconnected forthwith by the licensee. The licensee may subsequently remove or divert or convert his line, cable or electrical plant to prevent further theft of electricity provided that such action shall not result into any inconvenience in affording quality supply or disruption of supply, to other consumers.*

x. *In case the premises where the theft of electricity has been detected does not have regular electricity connection, the licensee shall forthwith disconnect the supply to such premises, and the supply shall only be restored after the person has cleared the dues to be paid on account of charges assessed for theft of electricity in full and has availed a regular new connection after completing the required formalities.*

(b) Hearing

(i) Within 3 working days of the date of inspection, the designated Authorized officer shall analyse the case after carefully considering all the evidences like documents, facts on record, the consumption pattern, wherever available and the report of inspection.

(ii) No theft case shall be booked for mere breakage of window glass or old seal of the energy meter. In such cases, if the average monthly consumption pattern for last one year is reasonably uniform as the assessed consumption (monthly), and there is no other prima facie evidence of theft / UUE found at the consumer premises. no further proceedings shall be taken for theft / UUE of electricity and the decision shall be

communicated to the consumer under proper receipt within 7 working days of the date of inspection, and connection shall be restored through original meter after proper checking/ resealing. The contents of such report recommending for dropping the case shall be communicated to the Special Court with a copy to the police station where the FIR was lodged.

(iii) If the Assessing Officer of the licensee suspects that theft of Electricity has taken place (as defined under Section 135 of the Act), he will serve the provisional assessment bill alongwith show cause notice to the consumer for hearing, giving 15 working days, under proper receipt. The notice shall invite objections in writing from the consumer, if any, against the charges and provisional assessment and require the presence of the consumer to answer to all the charges imposed by the licensee.

(iv) If, after hearing, the authorized officer finds that a case of theft has been established, the assessment shall be done for the energy consumption for past period as per the assessment formula given in Annexure 6.3 on 1.5 (one and a half) times the rates as per applicable normal tariff to the purpose for which the energy is abstracted, used or consumed or wasted or diverted, whichever is higher and demand and collect the same by including the same in a separate bill. This is in addition to any civil / criminal proceedings that may be instituted as provided by the Act, and described in cl. 8.2(vii).

(v) A copy of the order shall be served to the consumer under proper receipt and in case of refusal to accept the order or in absence of the consumer, shall be served on him under Registered Post / Speed Post. The Authorized officer may extend the last date of payment or approve the payment to be made in instalments on a consideration of the financial position and other conditions of the licensee. The amount, the extended last date and / or time schedule of payment/instalments should be clearly stated in the speaking order.

(c) Default in payment of assessed amount or instalments thereof.

(i) In case of default in payment of the assessed amount or any installment agreed or granted the Authorized Officer shall, after, giving 15 days notice in writing disconnect the supply of electricity, by any suitable means such as by disconnection from pole/ transformer, by removing meter, electric line, electric plant and other apparatus and shall also take penal action against the consumer as per provisions of the Act. The reconnection shall be carried out as per the provisions of reconnection laid down in clause 4.39.

(ii) When a person defaults in making payment of assessed amount, he shall be liable to pay an amount of interest at the rate of 16% (sixteen percent) per annum on the expiry of 30 days from the date of order of assessment, in addition to the assessed amount, compounded every six months.]

8.2 [3(1)] ***[Procedure for taking cognizance in case of theft of electricity:***

i. As per the provisions of the Act and in accordance with the order dated 8.6.2005 of Ministry of Power under Electricity Rules 2005 and power to remove difficulties, the procedure in clause 8.1 above and as provided herein, does not absolve the authorized officer of the licensee, from lodging the complaint in a police station and filing before the Special Court, within 30 days from the date of inspection and on failure to do so, shall restore supply on interim payment of assessed amount, calculated at 1.0 times of existing tariff, less payment already made by the consumer for the period of assessment. The Authorized Officer shall subsequently take action for lodging an FIR / filing before the Special Court.

ii. The authorized officer can lodge an F.I.R with police station concerned and in addition can file a complaint in writing to the Special Court which is constituted for the purpose of determining the criminal and civil liability, this however has to be done in accordance with procedure laid in sub clause (x) below.

iii. Section 152 of the Act, which deals with compounding of offences, shall be applicable, where the State Government or any officer authorized by it in this behalf accepts from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under this Act, a sum of money by way of compounding of the offence based on contracted load as specified in the Act.

iv. *The payment of the sum of money by way of compounding can be made with the officers of the licensee or the police Inspector of Vigilance Police station under whose jurisdiction the consumers premises is situated, if specifically empowered by the state government to accept the compounding amount.*

v. *After making the payments as above, and in accordance with section 152 (1) of the Act, any person if in custody, in connection with that offence, shall be set at liberty and no proceedings shall be instituted or continued against such consumer or person in any criminal court.*

vi. *Compounding of an offence shall be allowed only once for any consumer or person.*

vii. *If the compounding charges are accepted from the consumer as per the sum prescribed in the Act, any further charges for assessment of units by the licensee shall be at 1.0 times of existing tariff only.*

viii. *The supply shall be restored if the Consumer pays the charges demanded (compounding charges / assessment charges if any) and complies with the directions by the Licensee.*

ix. *Provided that such compounding amount shall be deposited in the State Government account by the above empowered authorities, and the licensee shall collect and retain the assessed amount if any.*

x **Cognizance of the offence –**

(a) A F.I.R against the consumer or person may be filed by the Appropriate Government or the Appropriate Commission or any of their officer authorized by them in this regard or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or an authorized officer of Licensee or a Generating Company, as the case may be in the Police Station of that area.

(b) The police shall investigate the matter in accordance with the general law applicable to the investigation of any offence. For the purposes of investigation of the offence under the Act or this Code, the police shall have all the powers as available under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(c) The police shall, after investigation, forward the report along with the F.I.R.lodged under sub-clause (a) above to the Court for trial under the Act, i.e. a Special Court, or in absence of a Special Court, any other court, for subsequent investigation for taking into cognizance of offence

(d) Notwithstanding anything contained in sub-clauses (a), (b) and (c) above, the complaint for taking cognizance of an offence punishable under the Act may also be filed by the Appropriate Government or the Appropriate Commission or any of their officer authorized by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or an authorized officer of Licensee or a Generating Company, as the case may be directly in the appropriate Court.

(e) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal procedure 1973, every Special Court may take cognizance of an offence referred to in sections 135 to 139 of the Act without the accused being committed to it for trial.

(f)The cognizance of the offence under the Act shall not in any way prejudice the actions under the provision of the Indian Penal Code.

(g)The final assessment done by the licensees assessing officer in case of theft, is also subject to adjudication by the court.

(h)In case of the decision of the court that theft is not established, the charges levelled and assessment made by the licensee against the consumer or person shall be withdrawn in writing and the connection shall be restored through the original meter.]

8.3 3(1) ***[Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter.***

The licensees are mandated to take following steps:

1. *Arrange to provide pilfer proof meter boxes on meters of at least 20% connections every year.*